आज़ादी का अमृत महोत्सव

उत्कृष्ट पुलिस थानें 2021

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

उत्कृष्ट पुलिस थानें 2021

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

अमित शाह

सत्यमेव जयते

गृह मंत्री
एवं
सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

संदेश

भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर "आजादी का अमृत महोत्सव" मना रहा है। इन 75 वर्षों में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए हम अपने संवैधानिक मूल्यों को कायम रखते हुए भारत को एक मजबूत और शांति प्रिय राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में सक्षम हुए हैं। भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में हमारी पुलिस प्रणाली की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसने आंतरिक सुरक्षा स्थापित कर देश की प्रगति में अपना महती योगदान किया है। पुलिस प्रशासन का जनता से सीधा सम्पर्क रहता है और नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करने हेतु यह सरकार का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। पुलिस प्रणाली का केन्द्र पुलिस थाने होते हैं जो नागरिकों के लिए किसी भी आपात स्थिति में मदद का प्रथम केन्द्र होते हैं। अतः पुलिस की नागरिकों के हितों के प्रति संवेदनशीलता समाज के स्वस्थ विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

भारत सरकार का गृह मंत्रालय पुलिस कर्मियों के द्वारा किए गये अच्छे काम को प्रोत्साहित करने, उनके सराहनीय कार्यों को सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में प्रदर्शित करने तथा उसके माध्यम से दूसरे पुलिस कर्मियों को उनका अनुकरण करने हेतु देश के पुलिस थानों की रैंकिंग करने का एक वार्षिक अभ्यास करता है। इस वार्षिक अभ्यास के दौरान पुलिस कार्य प्रणाली पर आम नागरिकों की प्रतिक्रिया पुलिस व्यवस्था के संबंध में एक स्वतंत्र दृष्टिकोण भी प्रदान करती है।

यह अत्यंत हर्ष और प्रेरणा का विषय है कि गृह मंत्रालय ने कोविड महामारी की कठिन परिस्थितियों के दौरान भी सभी राज्यों के पुलिस थानों का सर्वेक्षण करने की वार्षिक प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस संबंध में, मैं राज्य सरकारों के सहयोग की भी हार्दिक प्रशंसा करता हूँ। वर्ष 2021 के लिए पुलिस थानों की रैंकिंग पूरे देश में हमारे पुलिस कर्मियों की कार्य प्रणाली दर्शाने का एक ईमानदार प्रयास है जो पुलिस को अपने काम में बेहतरी लाने के लिए प्रेरित करेगा। मैं राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों के रूप में सम्मानित थानों के सभी कर्मियों को उनके द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण के लिए बधाई देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पुलिस कर्मी पूर्ण उत्साह के साथ भविष्य में भी उत्तम कार्य करते रहेंगे और अपने अन्य सहयोगियों और सहकर्मियों को पूरी क्षमता के साथ राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करेंगे।

(अमित शाह)

कार्यालय : गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 23092462, 23094686, फैक्स : 23094221
ई-मेल : hm@nic.in

नित्यानन्द राय
NITYANAND RAI

सत्यमेव जयते
आज़ादी का अमृत महोत्सव

गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली – 110001

MINISTER OF STATE FOR
HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
NORTH BLOCK,
NEW DELHI - 110001

संदेश

पुलिस स्टेशन कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार के सबसे दृश्यमान संगठन हैं। यह हमारे शासन की नींव है जो संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को बनाए रखने से लेकर किसी व्यक्ति के सत्यापन तक की सेवाएं प्रदान करता है। एक पुलिस स्टेशन का प्रदर्शन पुलिस प्रणाली और काफी हद तक सरकार का प्रदर्शन है। एक जिम्मेदार और जवाबदेह पुलिस बल किसी भी सरकार का अभिन्न अंग है और इसे जमीनी स्तर पर एक पुलिस स्टेशन के प्रदर्शन से आंका जाता है।

गृह मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की रैंकिंग की वार्षिक कवायद पुलिस थानों में अधिक दक्षता लाने का एक प्रयास है। सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों का कामकाज एक बेहतरीन कार्य प्रणाली है और अन्य पुलिस थानों द्वारा अपनी मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार अपनायी जा सकती है।

इस वार्षिक कवायद के तहत नागरिकों की प्रतिक्रिया, पुलिस थानों में बुनियादी ढांचे, अपराध की रोकथाम आदि का मूल्यांकन किया जाता है। यह संबंधित पुलिस स्टेशन के कामकाज पर एक सीधी प्रतिक्रिया प्रदान करता है और अन्य पुलिस थानों को इन बिंदुओं पर खुद का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने और देश भर के हजारों पुलिस स्टेशनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने पर शीर्ष क्रम के पुलिस स्टेशनों के पुलिस कर्मियों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ।

(नित्यानंद राय)

नई दिल्ली ।
11 नवम्बर, 2021

अजय भल्ला, भा.प्र.से.
AJAY BHALLA, IAS

सत्यमेव जयते

गृह सचिव
Home Secretary
भारत सरकार
Government of India
नॉर्थ ब्लॉक/North Block
नई दिल्ली/New Delhi

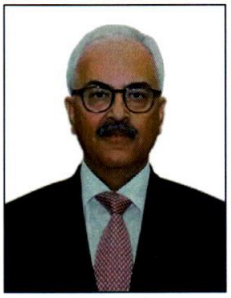

संदेश

हमारी पुलिस प्रणाली समय के साथ परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार विकसित हुई है। पुलिस प्रणाली में सुधार सार्वजनिक बहस में एक प्रमुख विषय रहा है और हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार हमारे देश के आधुनिक और जागरूक नागरिक समाज की वैध अपेक्षा को पूरा करने के लिए पुलिस को सक्षम करने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे और सुधारों के साथ पुलिस का आधुनिकीकरण करना चाहती है। मंत्रालय पुलिस स्टेशन के स्तर पर कुशल, जवाबदेह एवं पारदर्शी पुलिस प्रणाली की भावना को संस्थागत बनाने के उद्देश्य से हर साल देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों की पहचान करने का कार्य करता है। यह पुलिस कर्मियों को निरंतर सुधार और स्वस्थ सहकर्मी प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करता है।

2. 2021 में देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की पहचान करने का मानदंड मुख्य रूप से अपराध की रोकथाम, मामलों की जांच और निपटान, अपराध का पता लगाने, सामुदायिक पुलिसिंग और कानून और व्यवस्था के रखरखाव में उनके प्रदर्शन पर आधारित है। पुलिस थानों में आने वाली स्थानीय जनता की धारणा, क्षेत्र के निवासी भी इस सर्वेक्षण का हिस्सा थे।

3. राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पुलिस स्टेशनों को चिन्हित करने के अलावा, रिपोर्ट में राज्यों के श्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों के भी नाम है। इस रिपोर्ट में रैंकिंग और पहचान पाने वालों के लिए बड़ी सराहना की बात है और साथ ही यह प्रदर्शन करने की इच्छा रखने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है।

4. मैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को मंत्रालय को दिए गये सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं और शीर्ष क्रम के पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं दृढ़ता से कह सकता हूं कि ये पुलिस स्टेशन, पुलिस प्रणाली और नागरिकों की पुलिस की ओर अपेक्षा में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं।

10/11/21

(अजय भल्ला)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.11.2021

विषय सूची

1. परिचय — **8**

2. चयन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया — **11**

चयन की प्रक्रिया — 11

मूल्यांकन की प्रक्रिया — 14

भाग-1: अभिलेख आधारित मूल्यांकन — 14

भाग-2: सर्वेक्षण आधारित मूल्यांकन — 16

3. मुख्य अवलोकन — **19**

भाग-1: अभिलेख आधारित मूल्यांकन — 19

भाग-2: सर्वेक्षण आधारित मूल्यांकन — 25

नागरिकों की प्रतिक्रिया — 28

4. उत्कृष्ट पुलिस थानें 2021 — **32**

अनुलग्नक — **41**

1. परिचय

पुलिस शासन और समाज के आवश्यक अंगों में से एक है। देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में, शांति और स्थिरता बनाए रखने में, पुलिस की भूमिका को स्वीकारा जाना चाहिए। चाहे कानून को निष्पक्ष रूप से क़ायम रखना और लागू करना हो, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, मानवाधिकारों की रक्षा करना हो या आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करना हो, देश भर में पुलिस बलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुलिस नागरिकों के लिए संकट में सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वाली संस्था है और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करती है। पुलिस बल नागरिकों में संरक्षण एवं सुरक्षा की भावना प्रदान करते है। हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक कुशल, सतर्क, जिम्मेदार और जवाबदेह पुलिस बल की आवश्यकता है।

सार्वजनिक संस्थानों का मूल्यांकन एवं श्रेणीकरण ने सरकारी तंत्रों के कार्यों के सुधार में काफी विचारणीय कार्य किया है। समस्त विश्व में आधुनिक पुलिस संगठन, पुलिस के संचालन और प्रभावशीलता को मापने और सुधारने के लिए मानदंड और निरंतर सुधार तंत्रों का उपयोग करते हैं। सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों को पुरस्कृत करने की यह कवायद भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा हमारे पुलिस कर्मियों की निष्ठा और कड़ी मेहनत को दर्शाने एवं दूसरों को उनका अनुकरण करने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष की जाती है।

कच्छ में 2015 के सम्मेलन के दौरान पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों (डीजीपी/आईजीपी) को संबोधित करते हुए माननीय प्रधान मंत्री के निर्देशों के आधार पर, माननीय गृह मंत्री के अनुमोदन से देश के दस सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की पहचान करने की योजना तैयार की गई थी। देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की पहचान करने का मानदंड प्राथमिक रूप से अपराध की रोकथाम, मामलों की जांच और निपटान, अपराध का पता लगाने, सामुदायिक पुलिसिंग और कानून और व्यवस्था के रखरखाव में उनके प्रदर्शन पर आधारित है। पुलिस थानों की अवसंरचना, पुलिस थानों पर अपने कार्यों हेतु आने वाली जनता की धारणा, क्षेत्र के निवासियों और दुकानदारों/व्यवसायियों की प्रतिपुष्टि को भी पुलिस थानों की रैंकिंग में उचित महत्व दिया जाता है।

देश भर में सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की रैंकिंग की यह कवायद गृह मंत्रालय के पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग की देखरेख में की जाती है। देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कुछ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों का चयन कर सर्वेक्षण किया जाता है। फिर चयनित मानदंडों के अनुसार पुलिस थानों को उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन कर उनकी राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग की जाती है। गृह मंत्रालय के पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग ने नियत प्रक्रिया के अनुसार ट्रांसरूरल एग्री कंसल्टिंग सर्विसेज (TRUAGRICO) को वर्ष 2021 के लिए देश के शीर्ष पुलिस थानों के चयन का उत्तरदायित्व सौंपा है।

"देश में पहली आवश्यकता बाहरी और आंतरिक सुरक्षा की थी। जब तक सुरक्षा न हो तब तक आपके पास कोई योजना नहीं हो सकती है"

सरदार पटेल

2. चयन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया

चयन की प्रक्रिया

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के अनुसार, 01 जनवरी 2020 तक, देश भर में स्वीकृत पुलिस थानों की संख्या 16,955 है। तमिलनाडु में देश में सबसे अधिक (1990) पुलिस थाने है, जबकि सबसे कम, यानी 6 पुलिस थाने केन्द्र शासित प्रदेश दादरा तथा नगर हवेली और दमन एवं दीव में हैं। चूँकि कार्यभार का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन करने वाले थानों की रैंकिंग करने का था, अतः सैम्पलिंग के स्थान पर मूल्यांकन के लिये थानों के चयन करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गयी है। तदनुसार, सभी पुलिस थानों के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के पास उपलब्ध सूचना का उपयोग कर थानों का चयन किया गया एवं थानों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए निर्धारित मानदंडों और भारों के आधार पर प्रत्येक राज्य से थानों का चयन किया गया है। मूल्यांकन हेतु निर्धारित मानदंडों और भारों को नीचे दर्शाया गया है:

चयन का मानदंड	अधिकतम अंक	भार	
महिलाओं के खिलाफ अपराध	10	ए-70%	बी -30%
कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराध	10	ए -60%	बी -40%
संपत्ति से सम्बंधित अपराध	10	ए-70%	बी -30%
गुमशुदा व्यक्तियों के मामले	10	सी-100%	
अज्ञात पाए गए व्यक्तियों के मामले	10	सी-100%	
अज्ञात शवों के मामले	10	सी-100%	

ए- दर्ज की गई कुल प्राथमिकी में से आरोप पत्रिकरण का प्रतिशत
बी- प्राथमिकी का प्रतिशत जिसके लिए 60 दिनों के भीतर आरोप पत्रिकरण की गई
सी- कुल मामलों में से वैसे मामलों का प्रतिशत जिनमे CCTNS पर तस्वीर डाली गई हो

प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस स्टेशनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, न्यूनतम एक से अधिकतम तीन पुलिस स्टेशनों को नीचे दिए गए मापदंडों के आधार पर चुना गया

- 750 से अधिक पुलिस थानों वाला राज्य: 3 थानों का चयन
- 750 से कम पुलिस थानों वाले राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली: 2 थानों का चयन
- केंद्र शासित प्रदेश: प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1 थाना का चयन

राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशवार स्वीकृत थानों की संख्या (01-01-2020 तक)

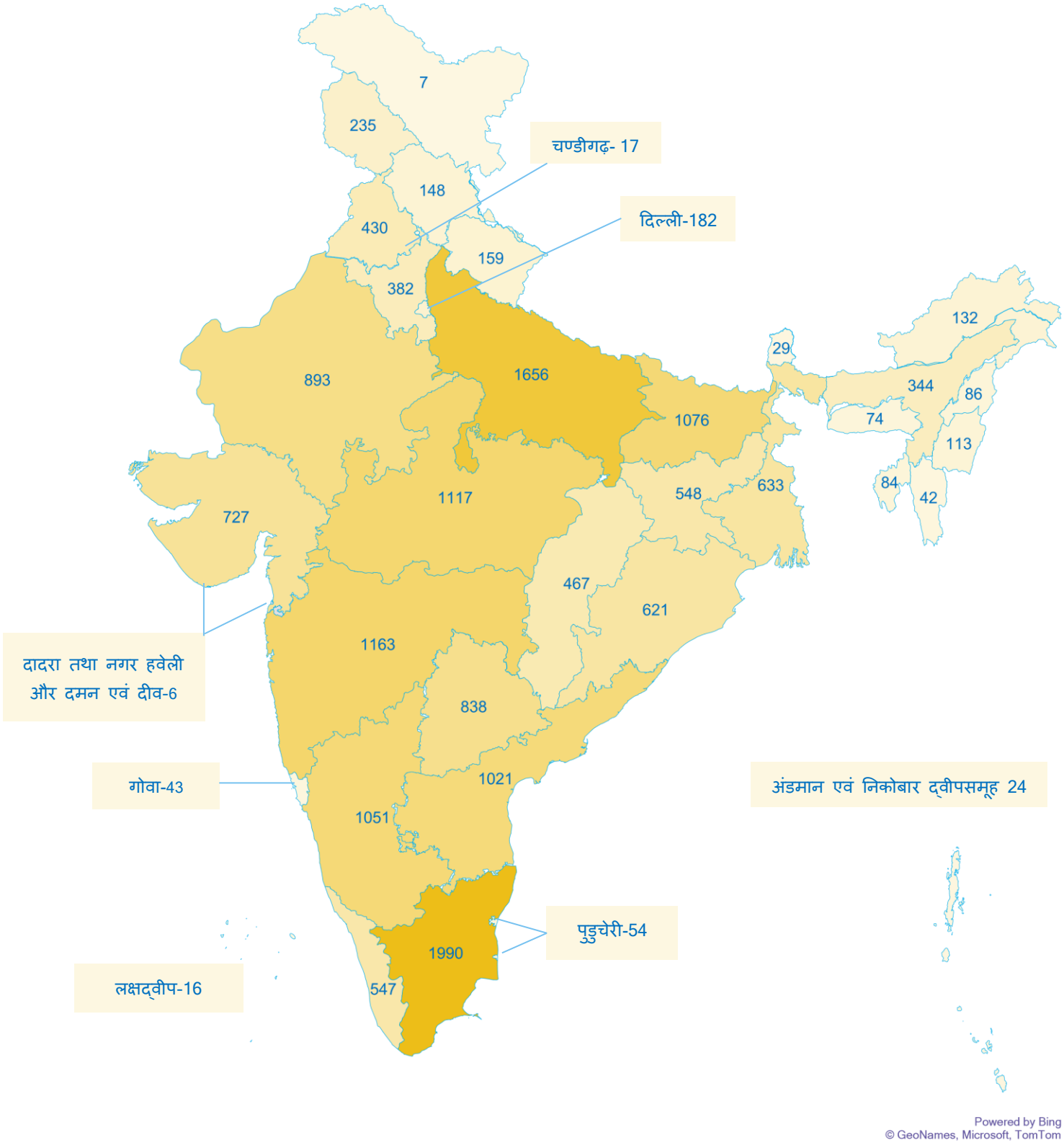

सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए चयनित थानों की राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशवार संख्या

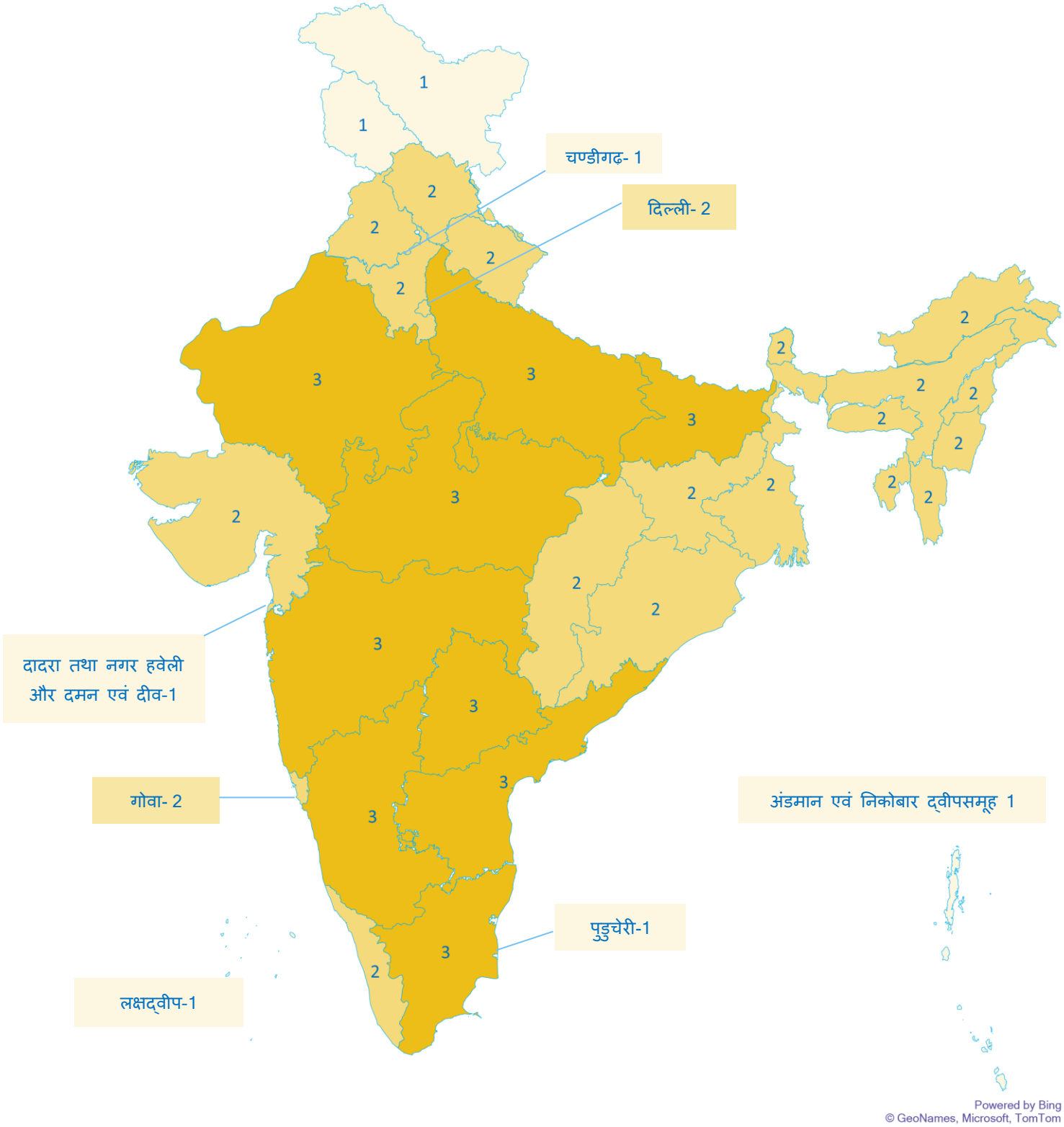

मूल्यांकन की प्रक्रिया

थानों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित किया गया है।

भाग -1 थानों के वार्षिक कार्यकाल के अभिलेख पर आधारित है, जिसका भार कुल अंकों का 80 प्रतिशत है।

भाग -2 में सर्वेक्षण आधारित मूल्यांकन शामिल है, जिसे 20 प्रतिशत भार दिया गया है। भाग-2 के अंकों का पुनः दो हिस्सों में विभाजन किया गया है। पहला हिस्सा जो कि आधारभूत संरचना और नागरिको के थाने से जुड़े कार्यों के निष्पादन से सम्बंधित है, इसे 80 प्रतिशत भार दिया गया है जबकि दूसरा हिस्सा नागरिकों, विशेष तौर पर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निवासी और दुकानदार/व्यवसायियों कि प्रतिपुष्टि से सम्बंधित है, और इसे 20 प्रतिशत भार दिया गया है।

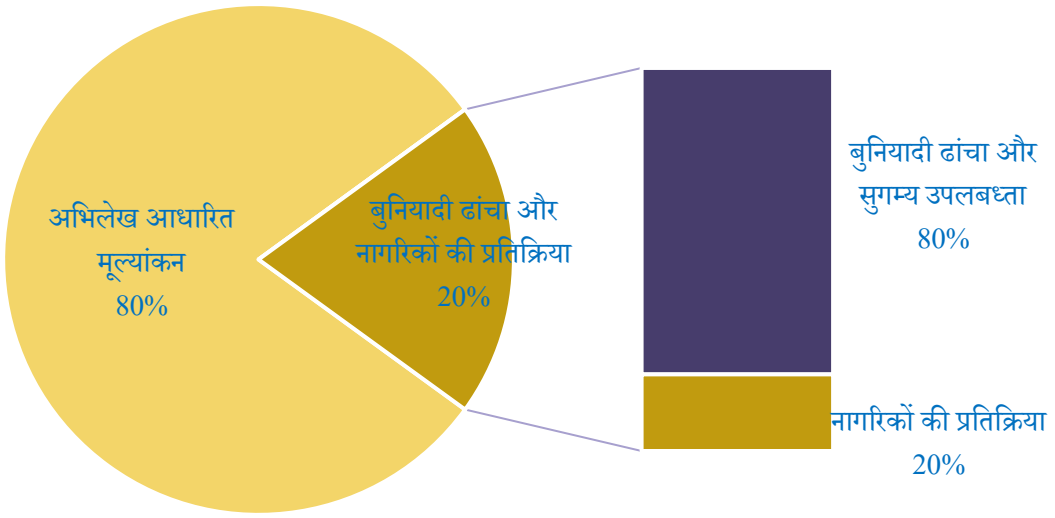

भाग-१: अभिलेख आधारित मूल्यांकन

इस चरण के दौरान चुने गए पुलिस थानों का, बी.पी.आर. एण्ड डी. द्वारा अपनाई गई प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। बी.पी.आर. एण्ड डी. की मूल्यांकन प्रणाली में विशिष्ट मानदंडों पर उत्तम प्रदर्शन के लिए सकारात्मक अंकों का प्रावधान है जबकि कुछ मानदंडों पर खरा न उतरने पर नकारात्मक अंकों का प्रावधान है। मूल्यांकन के लिए 19 प्रमुख शीर्षों को सूचीबद्ध कर इन्हें दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। 'अपराध आधारित शीर्षों को शीर्ष क्रम 1 से शीर्ष क्रम 8 में रखा गया है और प्रदर्शन पर आधारित शीर्षों को शीर्ष 9 से शीर्ष 19 तक रखा गया है।

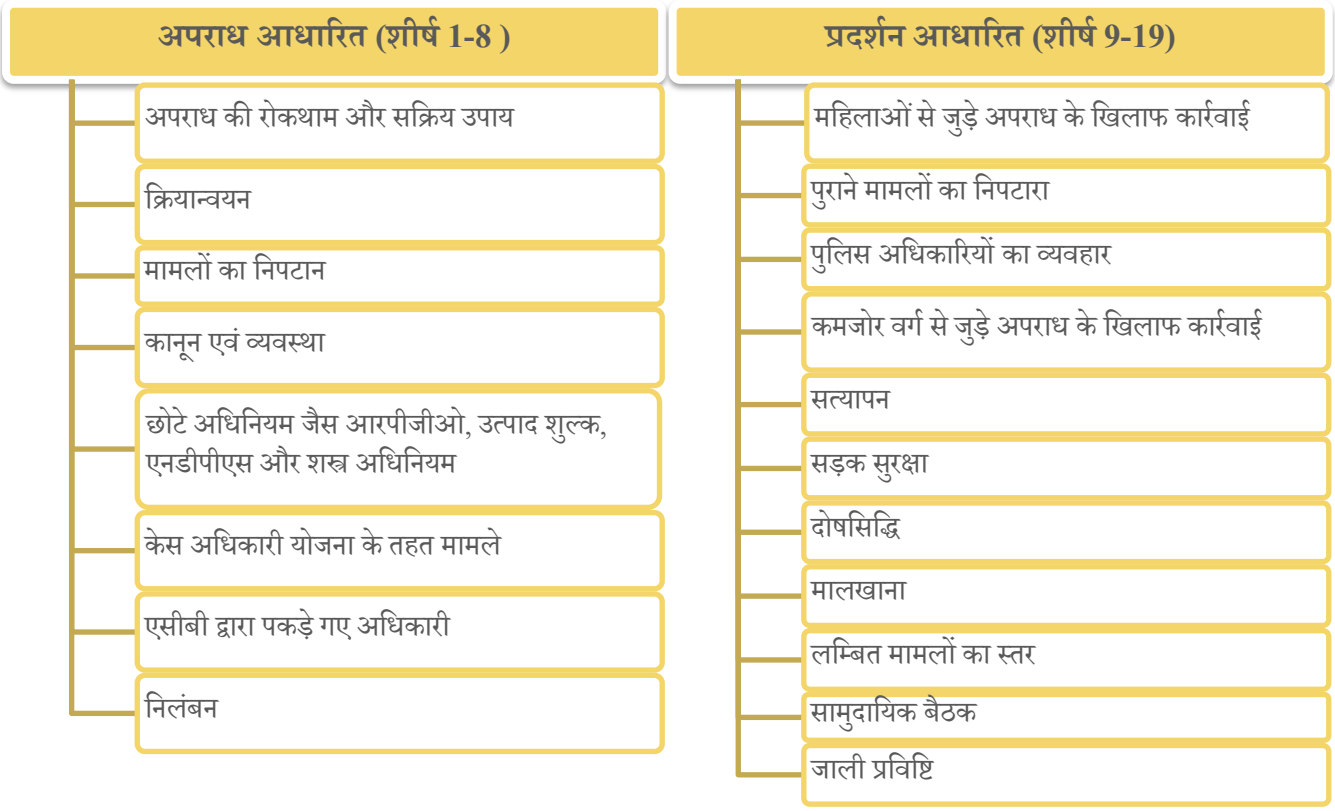

शीर्ष 1-8 का प्राप्तांक (S1): बी.पी.आर. एण्ड डी. के प्रारूप अनुसार प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत मामलों की संख्या को नामित अंकों से गुणा करके प्राप्त किए गए कुल अंकों की गणना की गई है। प्रत्येक शीर्ष को नीचे दर्शाए गए सीमा अनुसार रैखिक रूप से रूपांतरित किया गया है।

अपराध आधारित प्रमुख	प्राप्तांक की सीमा
लघु अधिनियम	0 से 20
निवारक कार्रवाई	0 से 20
क्रियान्वयन	0 से 10
पुराने मामलों का निपटान	-10 से 20
केस अधिकारी योजना के तहत मामले	-10 से 20
नियम और कानून	-20 से 0
एसीबी द्वारा ट्रैप	-50 से 0
निलंबन	-10 से 0

शीर्ष 9-19 का प्राप्तांक (S2): मूल्यांकन के इस चरण में भी बी.पी.आर. एण्ड डी. के प्रारूप अनुसार प्रत्येक पुलिस थानों के लिए प्रत्येक उप-शीर्ष (9-19) के अंतर्गत मामलों के आधार पर अंक देकर कुल अंकों की गणना की गई है।

भाग-2: सर्वेक्षण आधारित मूल्यांकन

पुलिस स्टेशन के बुनियादी ढांचे, नागरिकों की थाना से जुड़ी सेवा लेने में सहजता और थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निवासी और दुकानदार/ व्यवसायियों की प्रतिपुष्टि का आकलन करने के लिए इस चरण में सर्वेक्षण किया गया है।

क) पुलिस थानों का बुनियादी ढांचा और पुलिस कर्मी की सुगम्य उपलबध्ता- इस मापदंड में पुलिस थानों की इमारत, कमरे, सुविधाएं, फर्नीचर और उनके समग्र रखरखाव, पुलिस कर्मियों के अनुशासन और नागरिकों का थाने से जुड़ी सेवा लेने में सहजता शामिल है।
पुलिस थाना एक सार्वजनिक स्थान है, जहां लोग विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं और अत्यावश्यकताओं के लिए आते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि पुलिस स्टेशन में बुनियादी ढांचा सभी आगंतुकों के लिए पर्याप्त रूप से मौजूद होना चाहिए और साथ ही पर्याप्त स्वच्छता भी होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन भवन वह स्थान भी है जहां पुलिस कर्मियों का काफी समय व्यतीत होता है और इसलिए कर्मियों के लिए लंबे समय तक काम करने के लिए स्वच्छ कार्यालय स्थान, भोजनालय और विश्रामालय की उचित सुविधाएं आवश्यक हैं। एक विस्तृत मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित मानकों पर पुलिस स्टेशनों का मूल्यांकन किया गया:

क) थानों के भवन की स्थिति
ख) कर्मियों का अनुशासन और नागरिकों के प्रति सुगम्य उपलबध्ता
ग) काग़ज़ी अभिलेखों का भंडारण
घ) भोजनालय एवं विश्रामालय की सुविधा
ङ) ख़रीदी एवं वित्तीय प्रक्रिया पर थाना प्रभारी की घोषणा

ख) नागरिक प्रतिक्रिया- नागरिक अपनी सुरक्षा और मुद्दों के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी, सुलभ और उत्तरदायी पुलिस सेवा की अपेक्षा करते हैं। पुलिस के प्रदर्शन का मूल्यांकन नागरिकों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को समझने के साथ शुरू होता है। पुलिस थानों द्वारा दी गयी सूचना एवं नागरिकों की प्रतिपुष्टि के संयोजन से पुलिस थानों के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। नागरिकों की प्रतिक्रिया के लिए चयनित थानों के कार्यक्षेत्र से 3 श्रेणियों में नागरिकों का चयन किया गया है-

पुलिस थाना से वापस लौट रहे लोग (शिकायतकर्ता-10) - शिकायतकर्ताओं की प्रतिक्रिया पुलिस स्टेशन में उनके समग्र अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए दर्ज की गई और वे अपने क्षेत्र में पुलिस की सेवाओं से कितने संतुष्ट हैं इस बात की प्रतिपुष्टि ली गयी है।

बाजार में दुकानदार/ व्यवसायी (25) – थाना क्षेत्र में आने वाले बाज़ारों के दुकानदार उस क्षेत्र में पुलिस की सेवा के बारे में जानकारी देने के लिए प्राथमिक स्रोत हैं। बाजार में झगड़े और छीन-झपट जैसी स्थितियों को रोकने में और अगर ऐसी कोई घटना हो जाने की स्थिति में पुलिस किस तरह कार्रवाई करती है इसके सबसे बड़े गवाह बाज़ार के दुकानदार और व्यवसायी ही हैं। दुकानदारों को इस बात का भी ज्ञान होता है कि बाजार क्षेत्र में पुलिस कितना गश्त लगाती है और इसका कितना लाभ होता है।

थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवासी (25) - बातचीत करते समय पुलिस कर्मियों की भाषा, लहज़ा और व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए थाना क्षेत्र के निवासियों की प्रतिक्रिया ली गयी। पुलिस द्वारा उनके क्षेत्र में रात में गश्त जैसे उचित सुरक्षा उपाय किए गए हैं या नहीं, इसकी भी प्रतिपुष्टि ली गयी।

सर्वेक्षण का क्रियान्वयन

सर्वेक्षण का कार्य व्यापक स्तर पर करने से पहले प्रश्नावली में पुनरीक्षण की आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक प्रायोगिक सर्वेक्षण किया गया। प्रायोगिक सर्वेक्षण राजस्थान और गुजरात में किया गया। सर्वेक्षण की प्रक्रिया सर्वेक्षकों के प्रशिक्षण के साथ शुरू हुई। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सर्वेक्षकों एवं मूल्यांकन कर्ताओं को सर्वेक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया था। कुल मिलाकर, प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, लगभग 60 मूल्यांकन कर्ताओं को परियोजना की अवधारणा, प्रश्नावली, सर्वेक्षण पद्धति, तकनीकी अनुप्रयोग और अधिकारियों के साथ-साथ आम जनता से संपर्क करने के तौर-तरीकों पर प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने पर, सर्वेक्षकों एवं मूल्यांकन कर्ताओं को बिना किसी विलंब के सर्वेक्षण के लिए भेजा गया।

दक्षिण भारतीय और उत्तर-पूर्वी राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं की विविधता का ध्यान रखते हुए स्थानीय सर्वेक्षकों को नियुक्त किया गया क्योंकि ऐसे सर्वेक्षक स्थानीय लोगों से बात करते समय उनकी भावनाओं को बेहतर समझ सकेंगे। हिंदी भाषी राज्यों में, सर्वेक्षकों एवं मूल्यांकन कर्ताओं के एक दल को कई राज्यों का कार्यभार सौंपा गया था। उदाहरण के लिए, गुजरात का दौरा करने वाले सर्वेक्षकों एवं मूल्यांकन कर्ताओं के एक दल ने दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव में भी सर्वेक्षण किया। इसी तरह, दिल्ली में थानों का दौरा करने वाली टीम ने पंजाब और हरियाणा में भी थानों का दौरा किया।

संपूर्ण सर्वेक्षण के कार्यक्रम को निश्चित समयावधि में निष्पादित करने का प्रबन्ध किया गया।

मूल्यांकन में प्राप्तांक की चरणबद्ध गणना

'अपराध आधारित' शीर्षों के लिए प्राप्तांक के निर्धारण के मामले में, रैखिक परिवर्तन की तकनीक अपनाई गई है। 'अपराध आधारित' शीर्षों के प्राप्तांक को S_1 और 'प्रदर्शन आधारित' शीर्षों के स्कोर को S_2 से चिह्नित किया गया। S_1 और S_2 के योग को P_1 (भाग-1 का कुल प्राप्तांक) से चिह्नित किया गया है। भाग-2 के मूल्यांकन में भी रैखिक परिवर्तन की तकनीक अपनाई गई एवं भाग-2 के रैखिक रूप से रूपांतरित प्राप्तांक को P_2 कहा गया एवं P_1 को 80 प्रतिशत और P_2 को 20 प्रतिशत भार देकर संपूर्ण प्राप्तांक की गणना की गई।

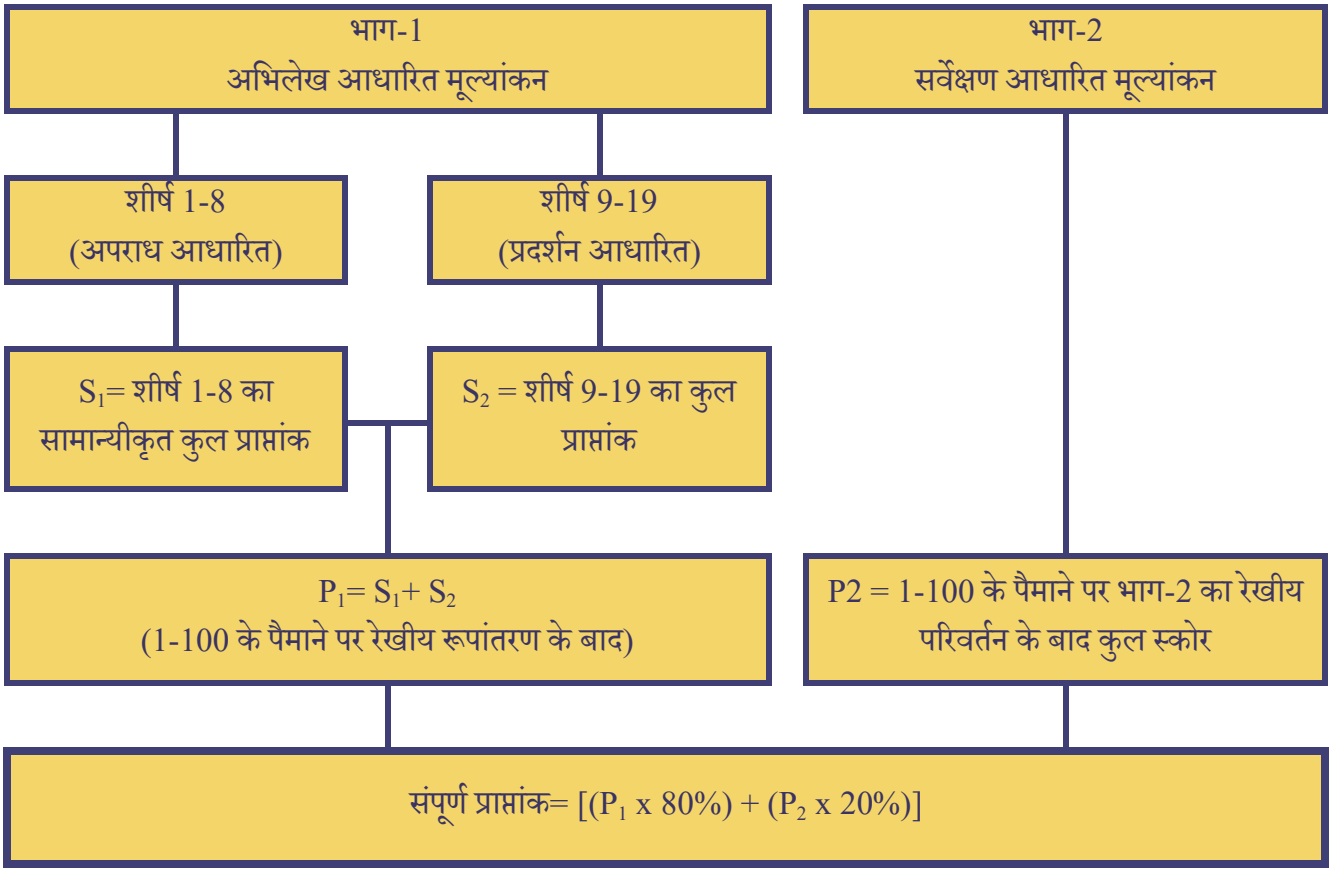

3. मुख्य अवलोकन

भाग-1: अभिलेख आधारित मूल्यांकन

अभिलेख आधारित मूल्यांकन के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया और देश भर के सभी चयनित पुलिस थानों के प्रभारियों को भेजा गया। थानों के प्रभारियों को इस प्रारूप में मांगी गयी सूचनाओं को TRUAGRICO द्वारा नियुक्त सर्वेक्षकों को सौंपने का निर्देश दिया गया था। थाना प्रभारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अभिलेख आधारित मूल्यांकन किया गया है। अभिलेख आधारित मूल्यांकन के परिणामों को दो प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है- अपराध आधारित मूल्यांकन और प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन।

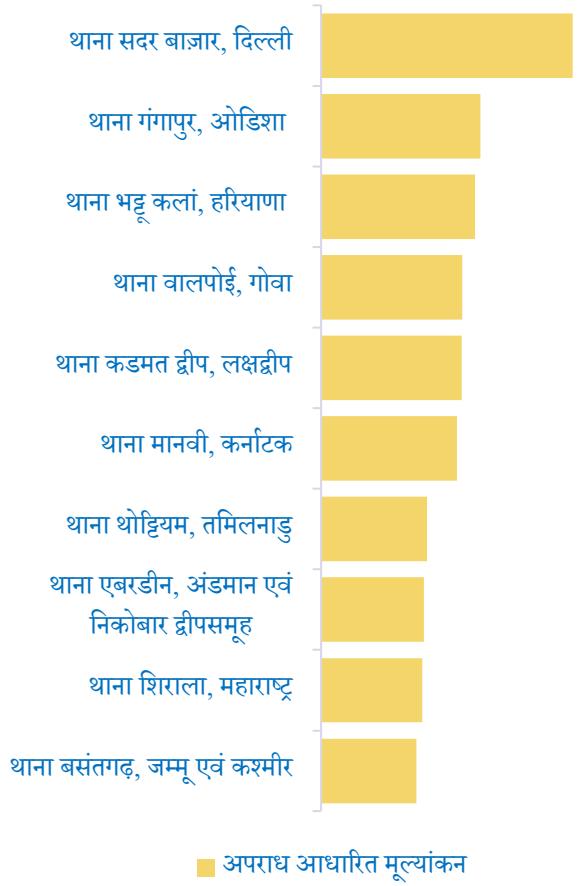

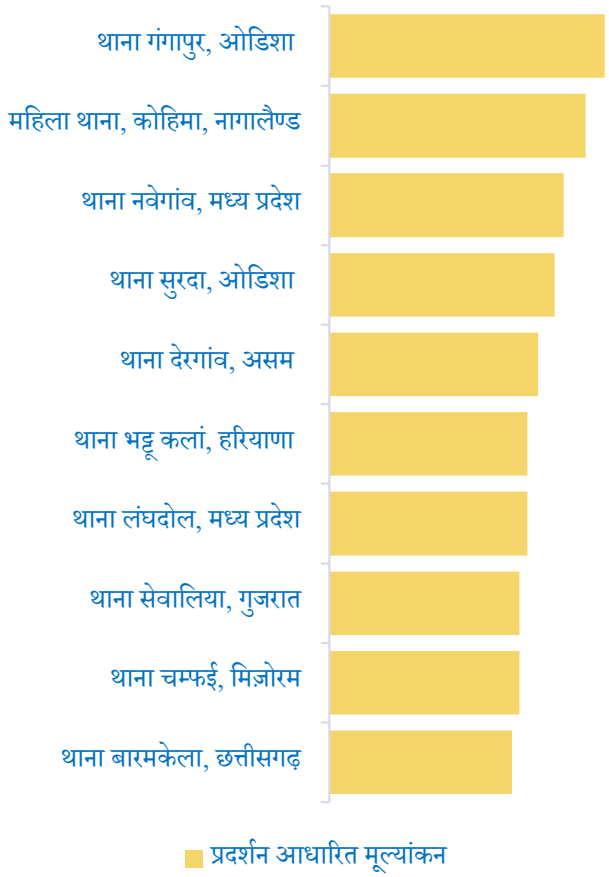

'अपराध आधारित शीर्षों (S_1)' के प्राप्तांक पर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का वर्गीकरण

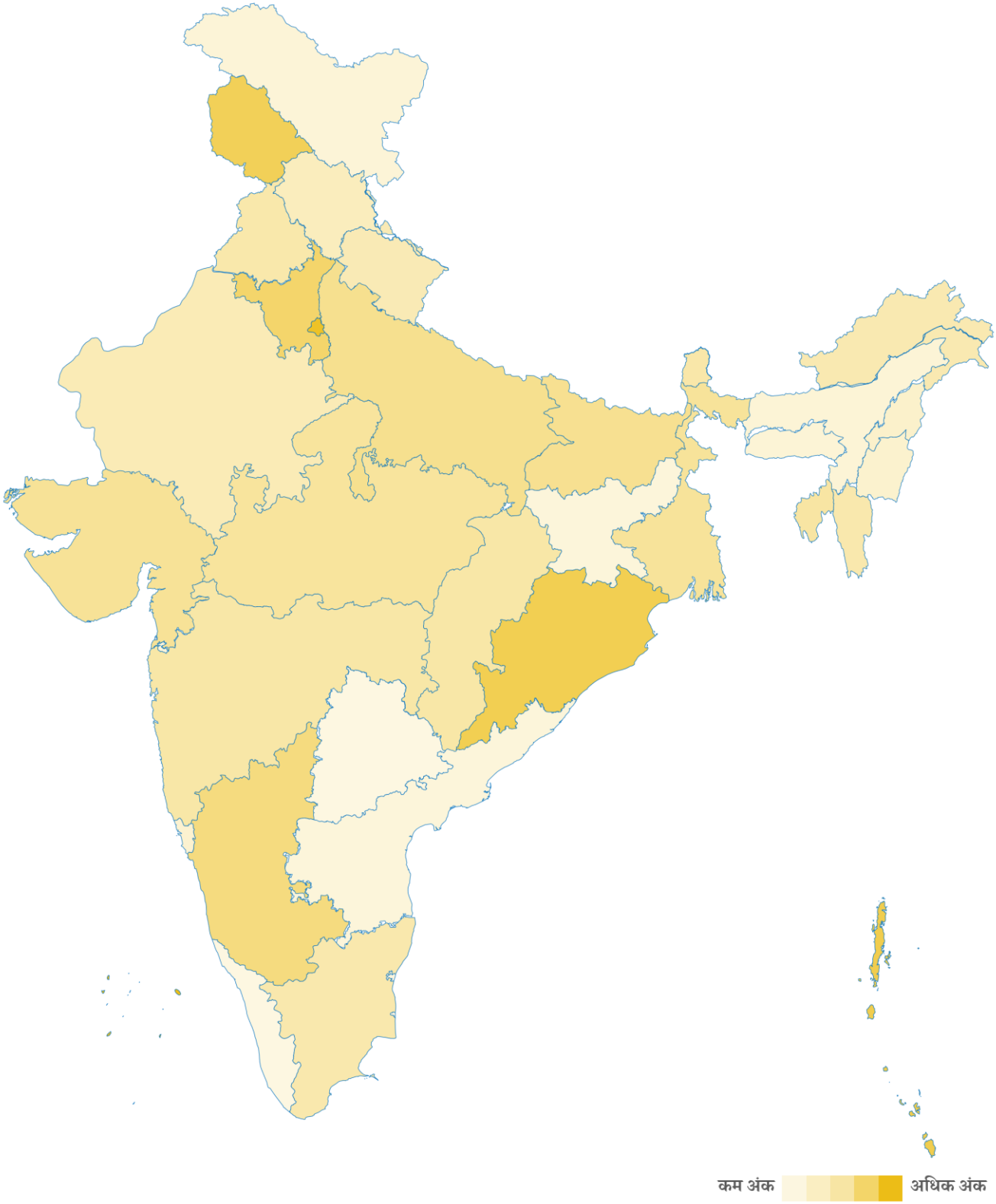

'प्रदर्शन आधारित शीर्षों (S_2)' के प्राप्तांक पर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का वर्गीकरण

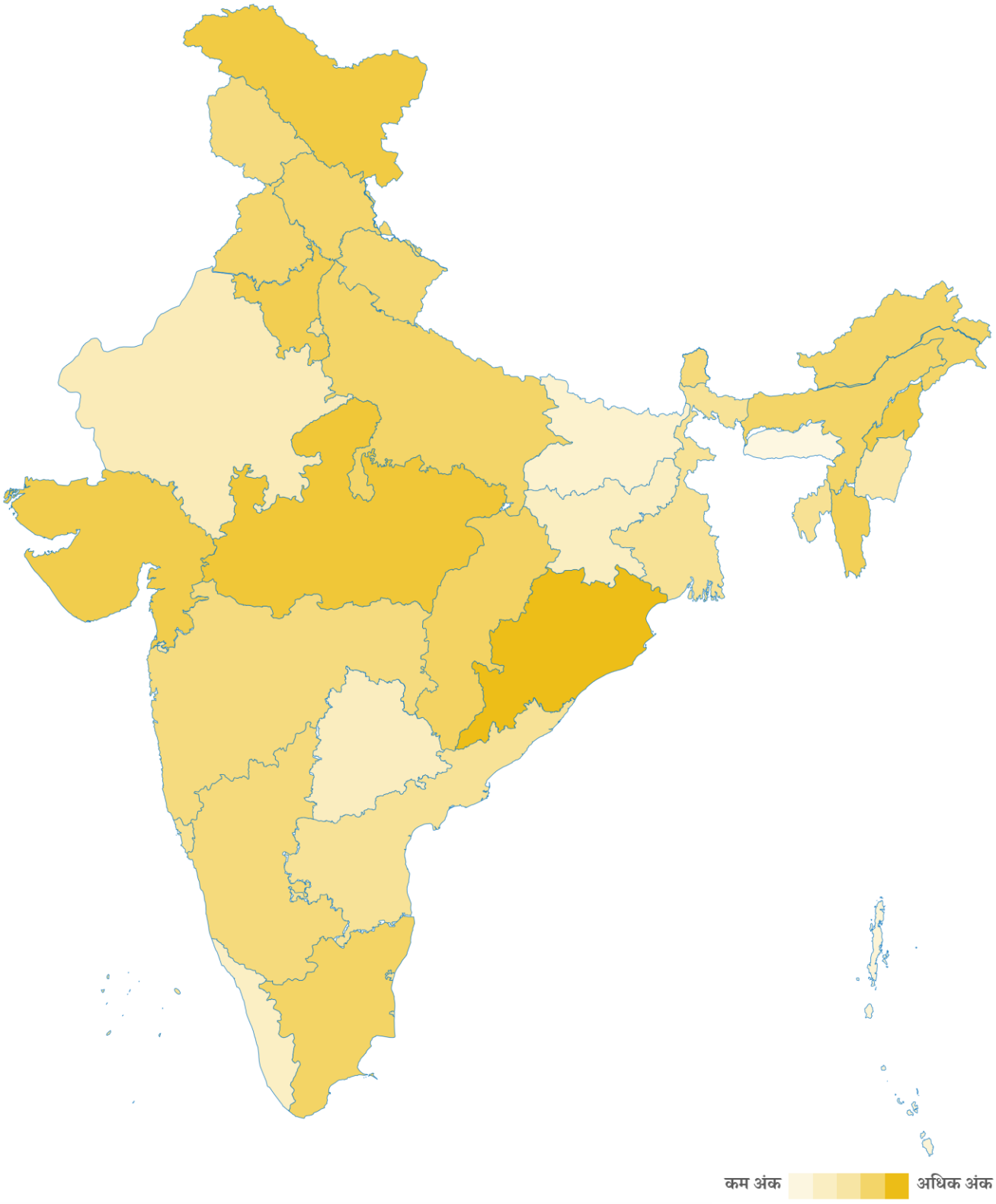

शीर्ष-1: अपराध की रोकथाम

इस शीर्ष के तहत, पुलिस थानों के प्रदर्शन का आकलन हथियार एवं विस्फोटक अधिनियम के उल्लंघन (और इसी तरह के अन्य अपराध जिनमें 3 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान हो), जुआ, अवैध शराब, ड्रग्स, इत्यादि का पता लगाने, जब्ती और गिरफ्तारी में पुलिस के सक्रिय भागीदारी के आधार पर सकारात्मक अंक देकर किया गया। यह पाया गया कि वर्ष 2020 के दौरान इस शीर्ष के तहत औसतन प्रति पुलिस स्टेशन लगभग 70 मामले दर्ज किए गए हैं। इस शीर्ष के तहत श्रेष्ठ दस पुलिस स्टेशनों द्वारा प्राप्त सापेक्ष स्थिति को नीचे दर्शाया गया है।

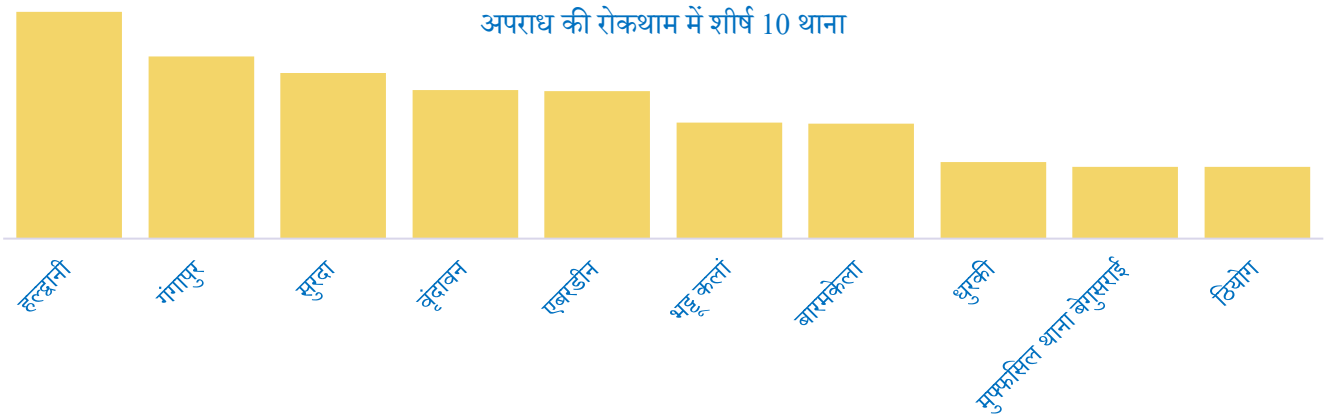

शीर्ष-2: निवारक कार्रवाइयां

इस शीर्ष के तहत मूल्यांकन ज्यादातर **निवारक** कार्रवाइयों से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 110, 122 और 151 के तहत आदेशों के निष्पादन के लिए पुलिस स्टेशनों को अंक प्रदान किए गए हैं। साथ ही, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम, गुंडा अधिनियम, मोटर यान अधिनियम एवं पुलिस अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए सकारात्मक अंक दिए गए हैं। इस शीर्ष में औसतन प्रति थाने में लगभग 167 मामले पाए गए।

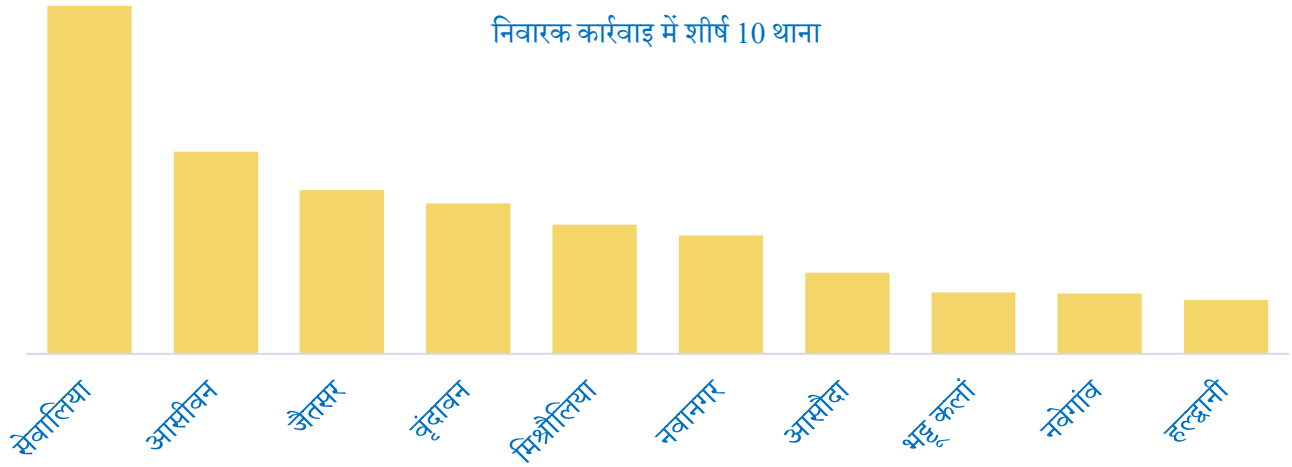

शीर्ष-3: वारंटों का निष्पादन

इस शीर्ष के तहत विभिन्न प्रकार के वारंटों जैसे कि स्टैंडिंग वारंट, गिरफ्तारी वारंट, घोषित अपराधी का वारंट इत्यादि के निष्पादन के आधार पर अंक दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक मामले में, यदि गिरफ्तार व्यक्ति किसी अन्य पुलिस स्टेशन में वांछित था, तो अतिरिक्त अंक दिए गए हैं। इस शीर्ष के तहत निष्पादित आदेशों की प्रति पुलिस थाना औसत संख्या लगभग 91 पायी गई है।

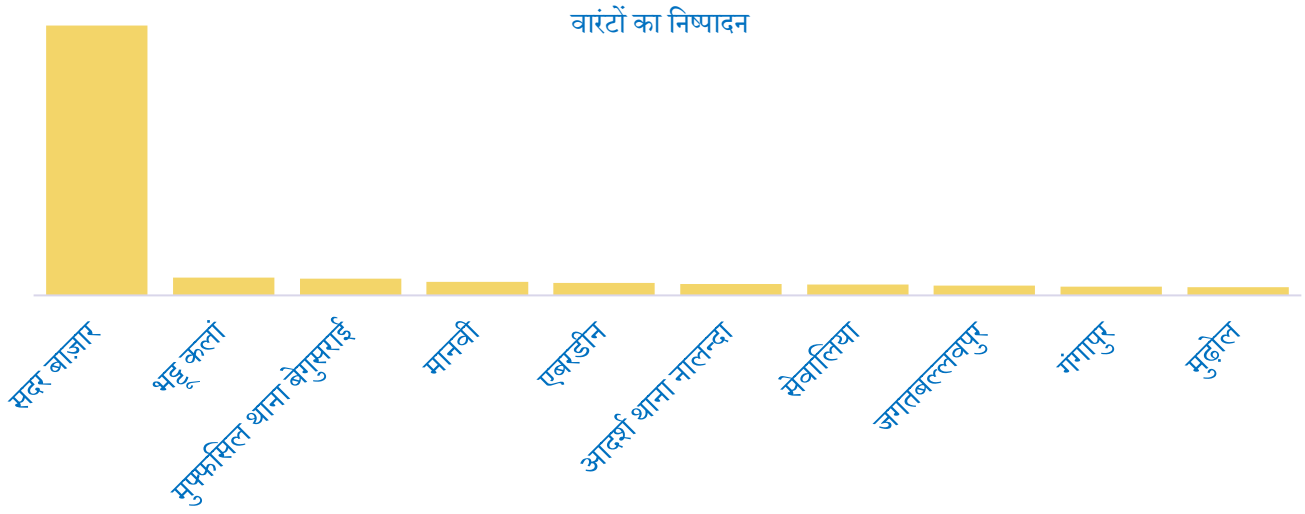

शीर्ष-4: पुराने मामलों का निपटान

इस शीर्ष के अंतर्गत, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173(8) और धारा 299 के तहत प्रत्येक मामले को निपटाने के लिए सकारात्मक अंक दिए गए हैं। हालांकि, इसी शीर्ष के तहत वर्ष 2020 में किसी भी नए मामले के जुड़ने से थानों को नकारात्मक अंक देने का भी प्रावधान भी है। यह देखा गया कि प्रति थाने में औसतन 2 पुराने मामलों का निपटान किया गया और साथ ही साथ केवल 1 नया मामला जुड़ा है। इस शीर्ष में आरोपपत्रित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के मामले में प्रति थाने में लगभग 0.3 व्यक्ति और नये आरोप पत्र में शामिल व्यक्तियों की संख्या लगभग शून्य है।

शीर्ष-5: केस अधिकारी योजनान्तर्गत मामलों में दोष-सिद्धि

दोष-सिद्धि उपरांत सजा के वर्षों के आधार पर पुलिस थानों को अंक प्रदान किए गए। मामलों की संगीनता को महत्व देने के लिए सजा के वर्ष जितने अधिक थे, उतने ही अधिक अंक प्रदान किये गए। दोष-सिद्धि न साबित होने की स्थिति वाले मामले के लिए नकारात्मक अंक का प्रावधान किया गया। दोष-सिद्धित मामलों की औसत संख्या लगभग 4.4 एवं ऐसे मामलों में 5.1 व्यक्ति प्रति थाना पाई गई। निर्दोष अथवा दोषसिद्धि न साबित होने के औसतन लगभग 4 मामले एवं 6 व्यक्ति प्रति थाना पाया गया।

शीर्ष-6: कानून और व्यवस्था की स्थिति

जिन थाना क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थितियों के मामलों के निवारण के लिए पुलिस अधीक्षक या उनसे उच्च अधिकारियों को घटनाओं में शामिल होना पड़ा, वैसे थानों ने नकारात्मक अंक प्राप्त किए। यह देखा गया है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति केवल 9 प्रतिशत थानों में ही उत्पन्न हुई। अधिकांश पुलिस थानों (91%) में वर्ष 2020 के दौरान कानून-व्यवस्था की ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई जिसमे उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी हो।

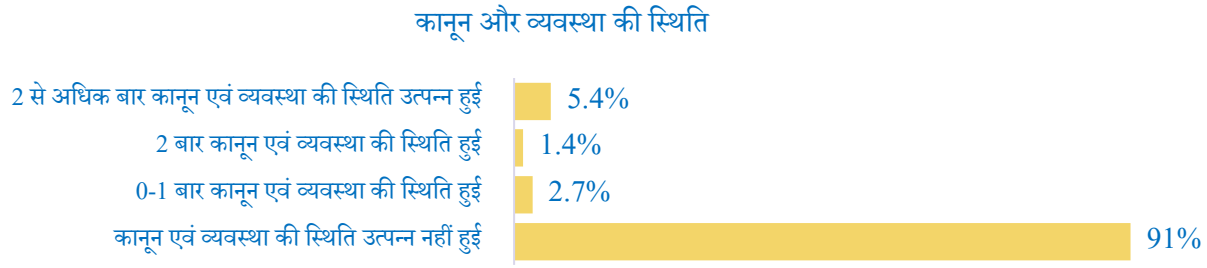

शीर्ष 7 और 8: एसीबी द्वारा पकड़े गए अधिकारी एवं निलंबन

इन शीर्षों के अंतर्गत भी केवल नकारात्मक अंकों का प्रावधान है। ACB द्वारा पकड़े हुए कर्मियों के प्रत्येक मामले और निलंबन के प्रत्येक मामले के लिए, नकारात्मक अंक प्रदान किये गए। ACB द्वारा पकड़े हुए कर्मियों के मामले में सभी 74 थानों में कोई केस नहीं मिला है। हालांकि निलंबन के मामले में यह पाया गया कि 4 थानों के कुल 5 कर्मियों का निलंबन हुआ है।

शीर्ष 9-19: प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन

इन शीर्षों के अंतर्गत पुराने प्रकरणों के निस्तारण, बलात्कार एवं कमजोर वर्ग के लोगों से जुड़े अपराध के मामलों में त्वरित आरोप-पत्र, चोरी के माल की वसूली, सम्पत्ति अपराधों का पता लगाने, शीघ्र सत्यापन (पासपोर्ट, शस्त्र, सेवा आदि के लिए), दुर्घटनाओं की दर (पिछले वर्ष की तुलना में), मालखाना संबंधित मामले के निपटान की दर, लंबित मामलों की दर, सामुदायिक संपर्क समूह (सीएलजी) की बैठक और झूठी प्रविष्टियां के आधार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक अंकों का प्रावधान है। इन मानदंडों पर बेहतर अंक प्राप्त करने वाले शीर्ष पुलिस स्टेशनों को उनके प्रदर्शन के सापेक्ष क्रम में नीचे दर्शाया गया है।

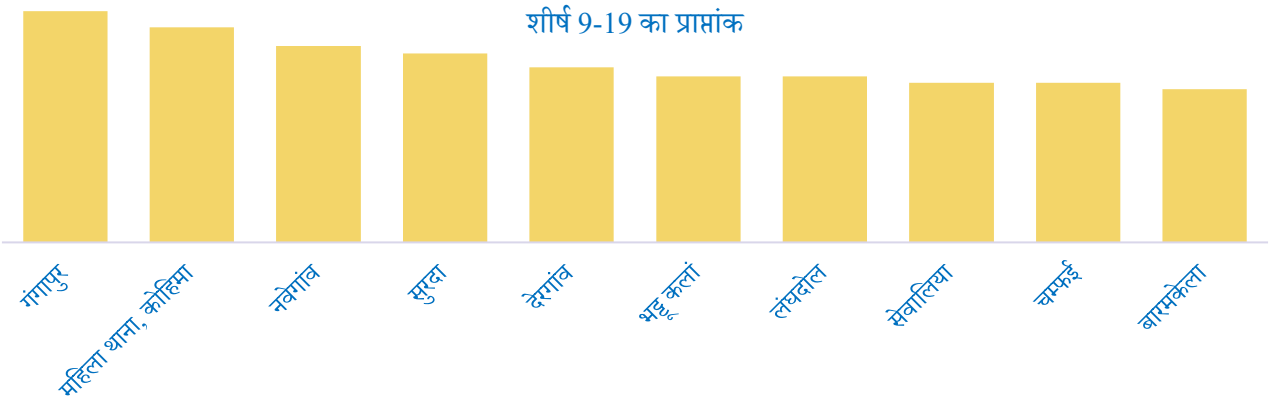

भाग-2: सर्वेक्षण आधारित मूल्यांकन

पुलिस स्टेशन का बुनियादी ढांचा और नागरिकों में सहजता

पुलिस थाने के बुनियादी ढांचे और नागरिकों को पुलिस से सेवा लेने में सहजता का आकलन करते समय, आगंतुकों के साथ-साथ पुलिस स्टेशन के कर्मियों के लिए बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया। विश्रामालय (बैरक), पुलिस स्टेशन परिसर और भवन, लॉक-अप, भोजनालय, अभिलेख और लिखित पत्र भंडारण, थाना की सुरक्षा, शौचालय और सफाई कर्मचारी आदि जैसे बुनियादी ढांचे के लिए मूल्यांकन किया गया है।

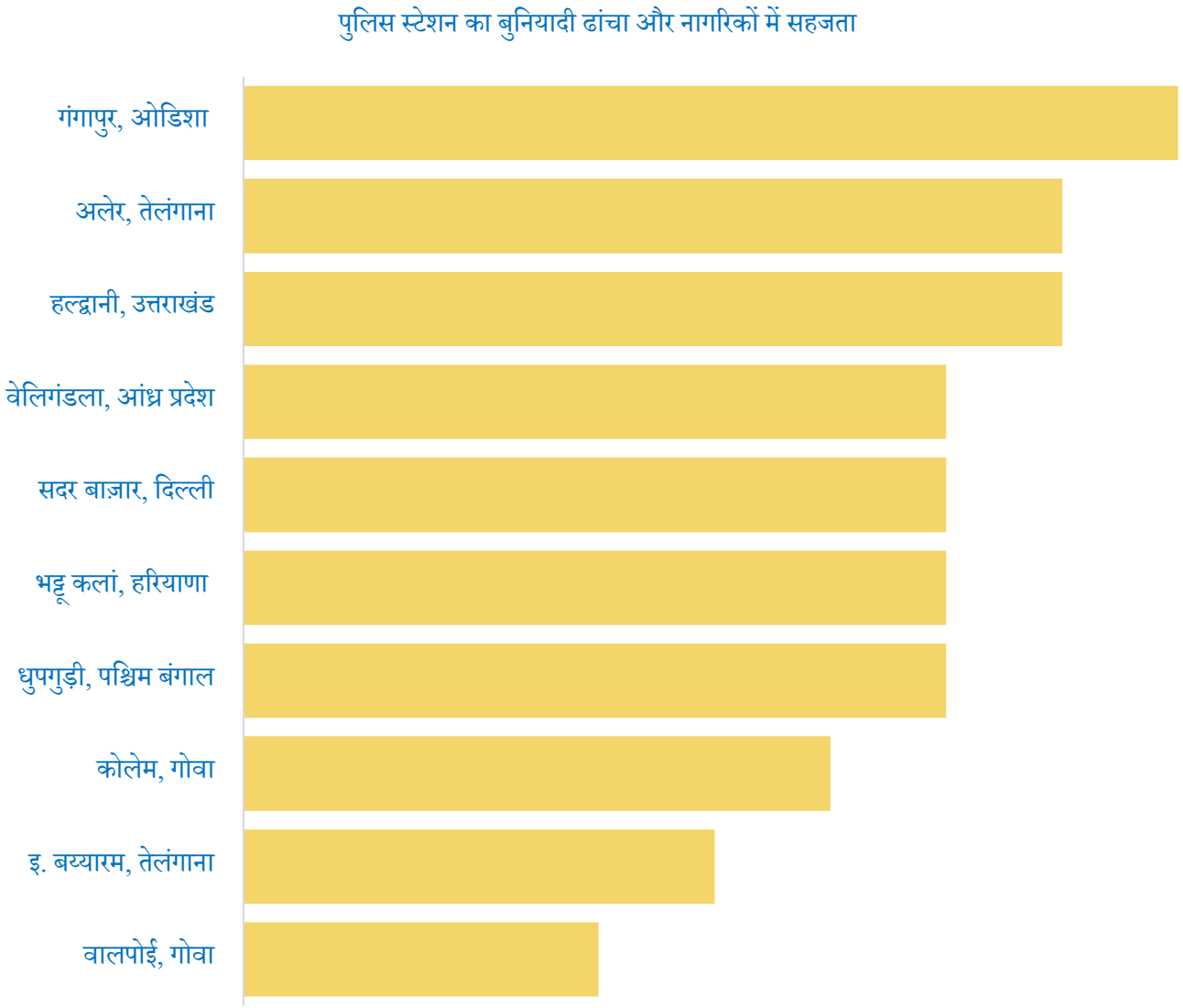

थाना की सेवा लेने में
नागरिकों की सहजता
कम अंक
अधिक अंक

पुलिस कर्मियों के
लिए विश्रामालय
कम अंक
अधिक अंक

परिसर और इमारत
कम अंक
अधिक अंक

हवालात
कम अंक
अधिक अंक

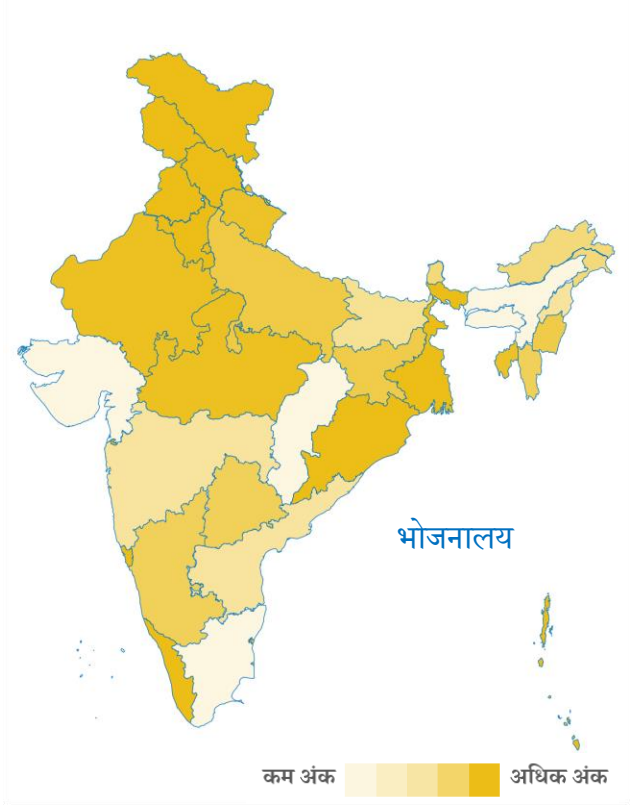
भोजनालय
कम अंक
अधिक अंक

अभिलेखों का भण्डारण
कम अंक
अधिक अंक

थाना की सुरक्षा के इंतज़ाम
कम अंक
अधिक अंक

शौचालय सफाई की स्थिति
कम अंक
अधिक अंक

नागरिकों की प्रतिक्रिया

पुलिस स्टेशन से वापस लौट रहे लोग (शिकायतकर्ता)

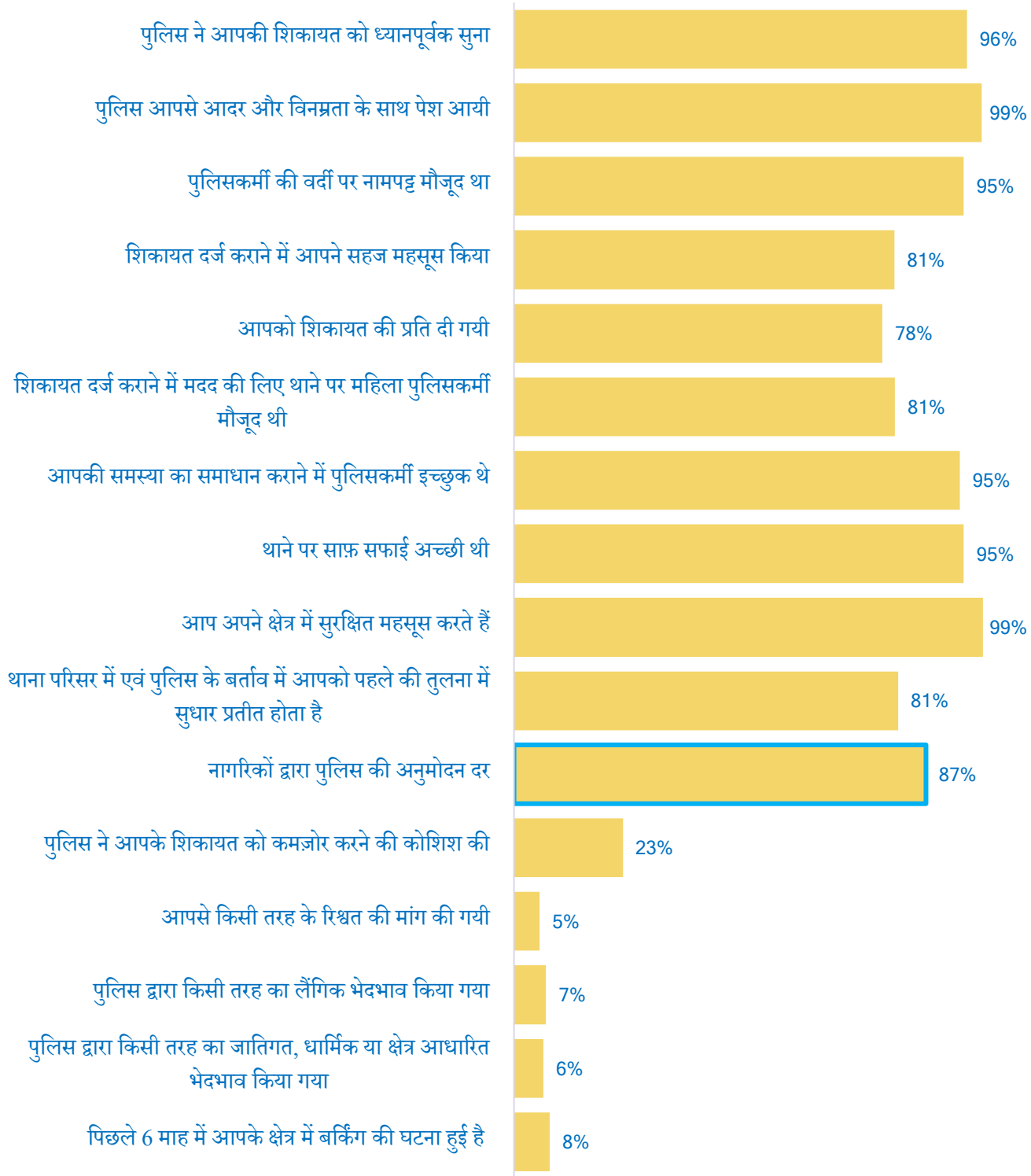

नजदीकी बाजार में दुकानदार/ व्यवसायी

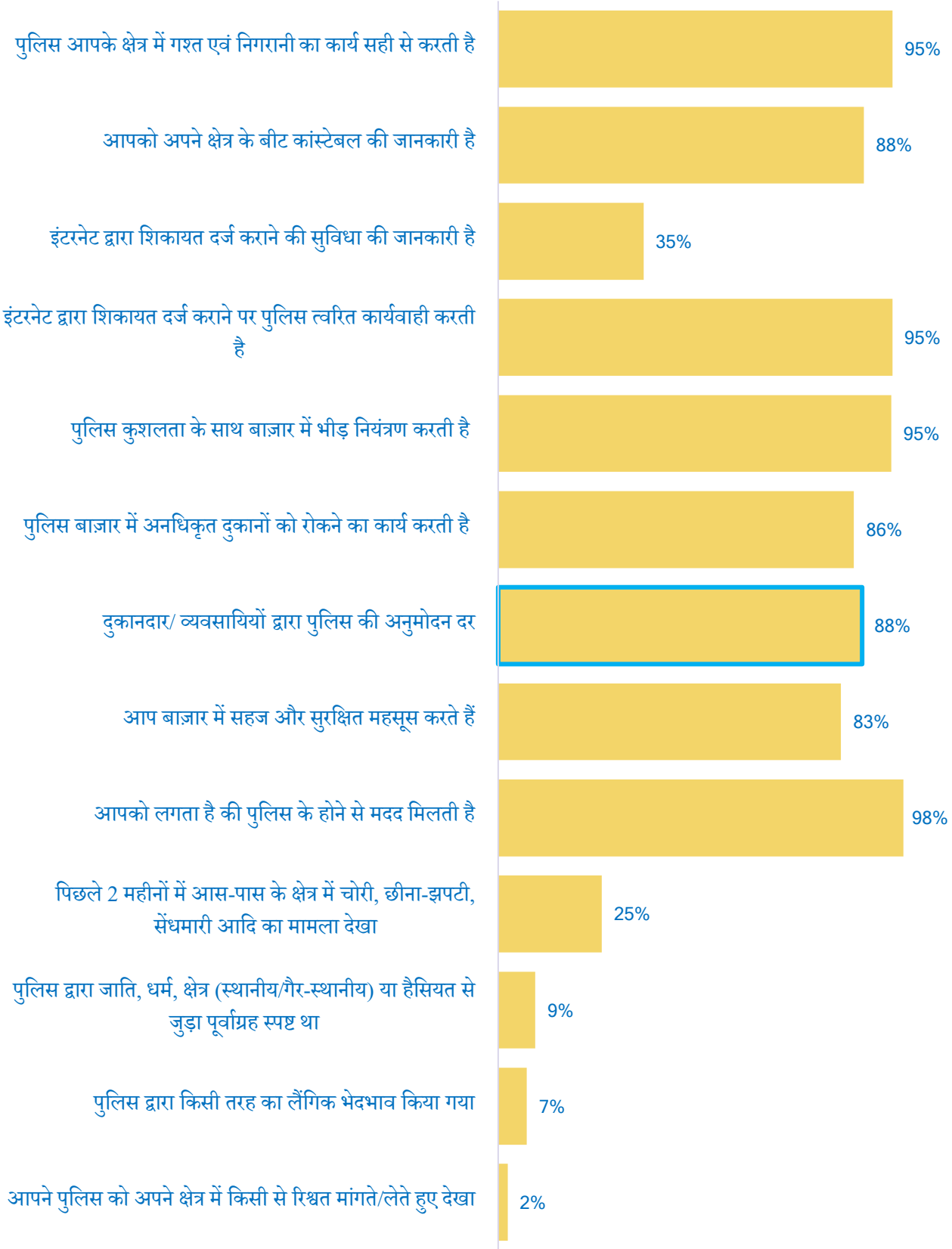

थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवासी

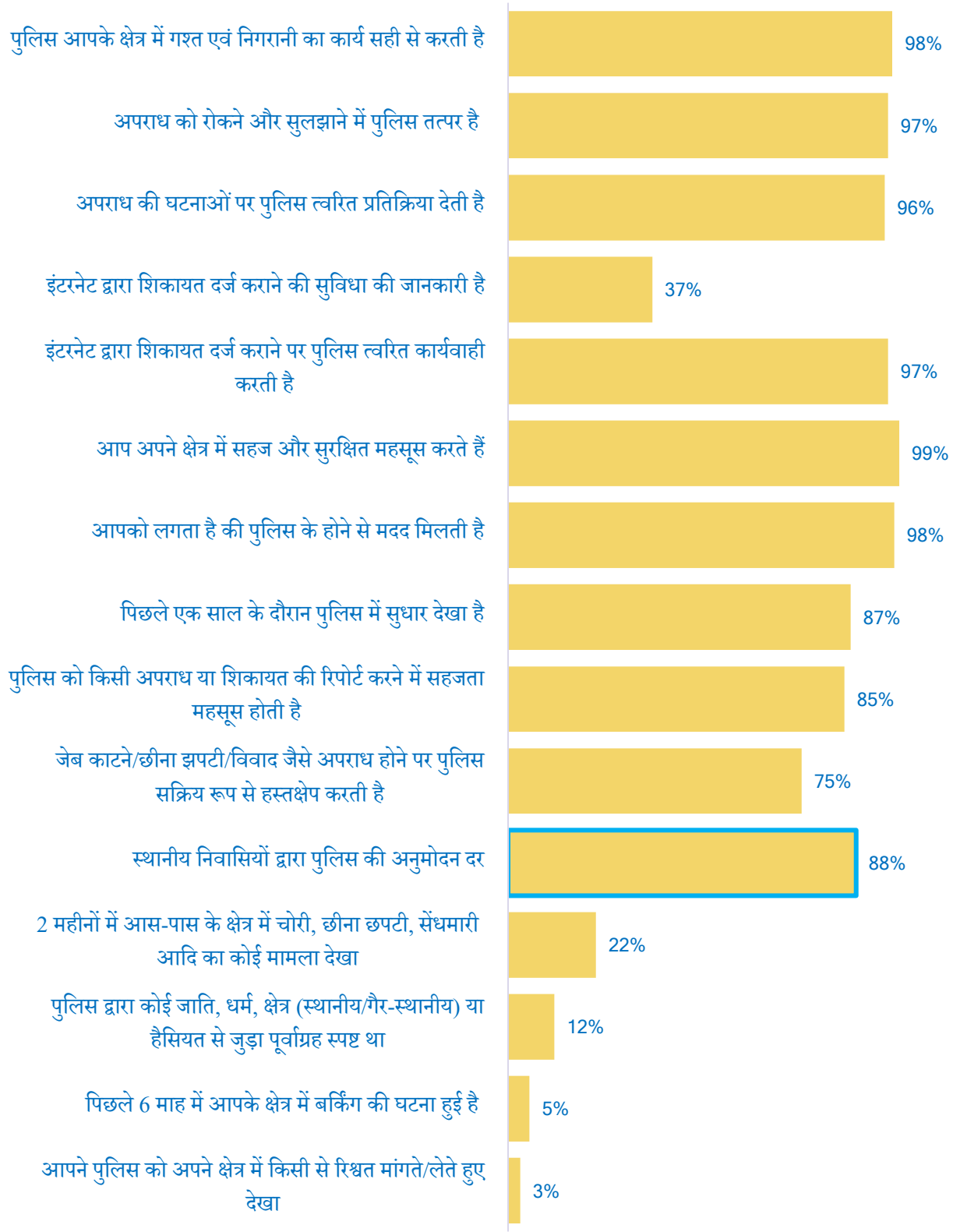

पुलिस के प्रति अपना विचार व्यक्त करते हुए नागरिक

<<Image Insert>>

4. उत्कृष्ट पुलिस थानें 2021

1	थाना सदर बाजार, उत्तरी दिल्ली, दिल्ली
2	थाना गंगापुर, गंजम, ओडिशा
3	थाना भट्टू कलां, फतेहाबाद, हरियाणा
4	थाना वालपोई, उत्तरी गोवा, गोवा
5	थाना मानवी, रायचूर, कर्नाटक
6	थाना कडमत द्वीप, लक्षद्वीप
7	थाना शिराला, सांगली, महाराष्ट्र
8	थाना थोट्टियम, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु
9	थाना बसंतगढ़, उधमपुर, जम्मू और कश्मीर
10	थाना रामपुर चौरम, अरवल, बिहार

थाना सदर बाज़ार
POLICE STATION SADAR BAZAR

GANGAPUR POLICE STATION

थाना भट्टू कलां, फतेहाबाद

POLICE STATION
VALPOI
पुलिस थाना
वाळपई
स्वच्छ भारत मिशन
कूड़ा डालें, सिर्फ कूड़ेदान
इस बात का रखें ध्यान
MAKE YOUR TOWN,STATE,COUNTRY,PLASTIC FREE
GSUDA
DRY WASTE

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮಾನವಿ.
POLICE STATION, MANVI.

पुलिस थाना कडमत
POLICE STATION KADMAT
KADMATH

शिराळा पोलीस ठाणे

04326 - 254332
தொட்டியம் காவல் நிலையம்
தொட்டியம் வட்டம், திருச்சி மாவட்டம்

रामपुर चौरम थाना, जिला-अरवल

#1 थाना सदर बाज़ार, दिल्ली

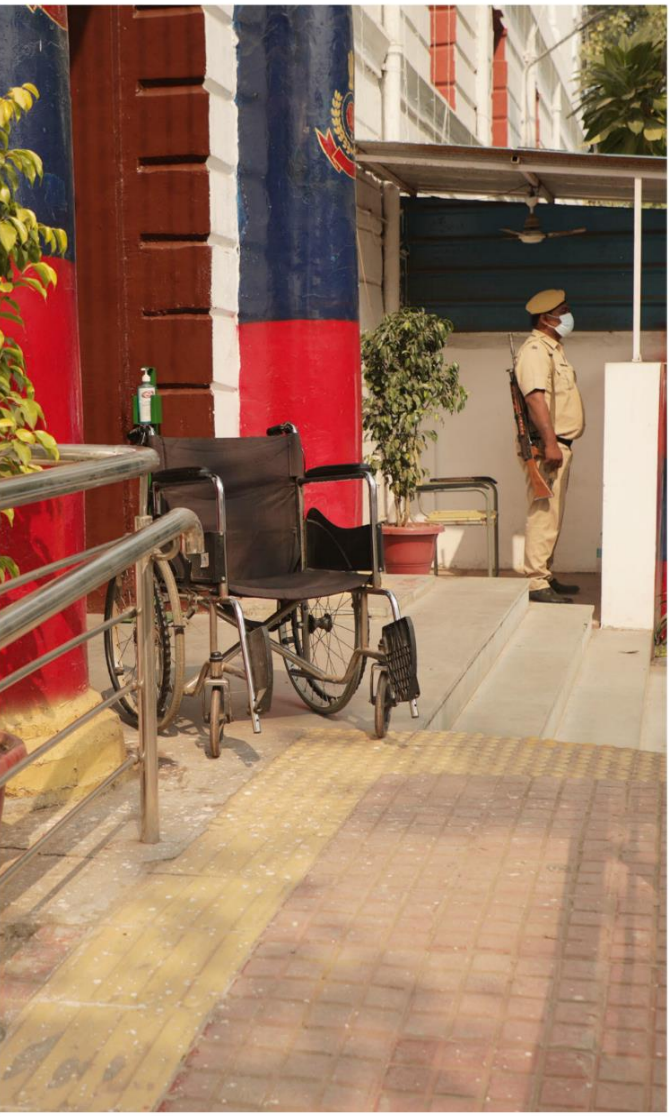

E-FIR FACILITY AVAILABLE HERE
NORTH DISTRICT, DELHI POLICE
POLICE STATION, SADAR BAZAR
PUBLIC FACILITATION

WAITING ROOM

राजगुरु
सुभाष चन्द्र बोस
सुखदेव
YOU CAN BE.. OUR EYES & EARS
SECURITY GUARD
CAB DRIVER
TSR DRIVER
SHOPKEEPER
PARKING ATTENDANT

WOMEN HELP DESK
दिल्ली पुलिस
महिला सहायता डैस्क
WOMEN & CHILD HELP DESK

AR BAZAR

T YOU HEAR, YOU FORGET;
YOU SEE, YOU REMEMBER;
YOU DO, YOU UNDERSTAND.
TO ATTAIN KNOWLEDGE
ADD THINGS EVERY DAY
CHILDREN'S STUDY ROOM

#2 थाना गंगापुर, ओडिशा

GANGAPUR
OLICE STATION
ପୁର ଥାନା
airtel
3G
GANGAPUR POLICE STATION

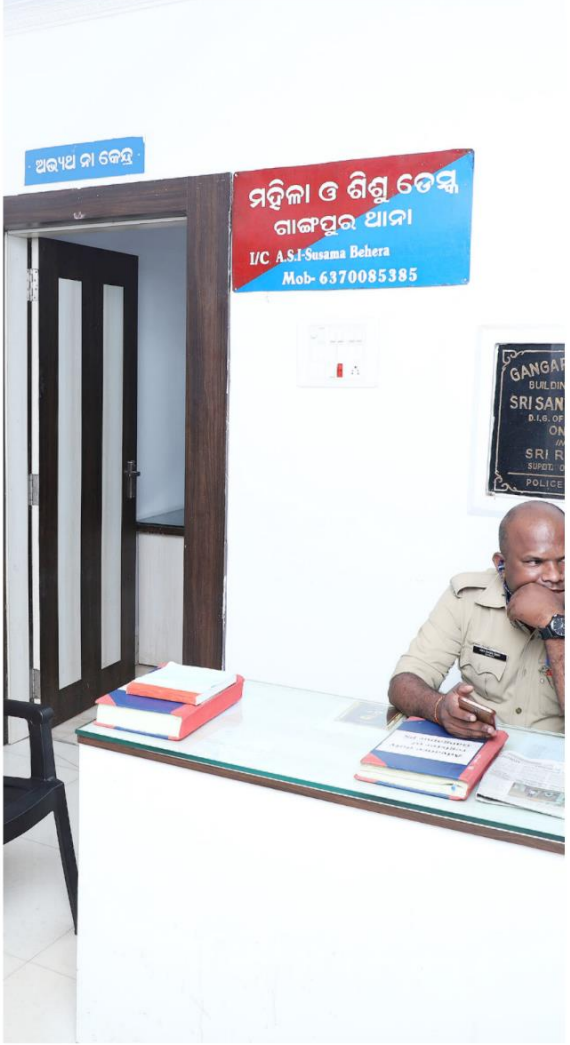
ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଡେସ୍କ
ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା
I/C A.S.I-Susama Behera
Mob- 6370085385

INCUMBENCY CHART OF S.I.C.

#3 थाना भट्टू कलां, हरियाणा

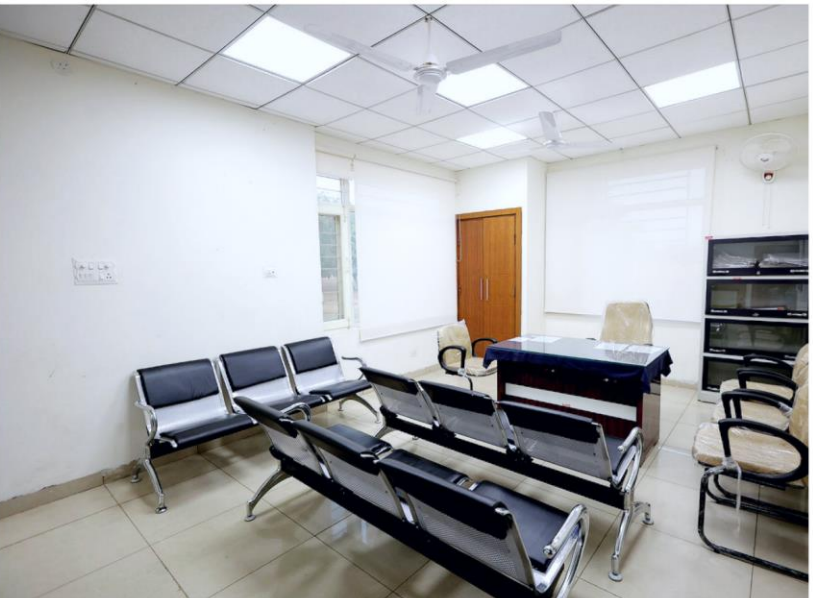

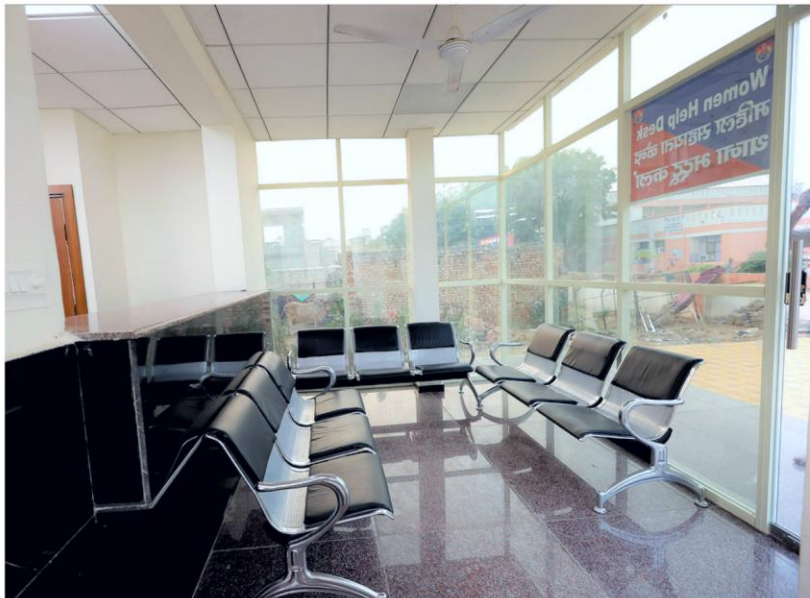

इस शेड का निर्माण जिला परिषद् स्कीम से ग्राम पंचायत भट्टू मण्डी द्वारा दिनांक: 13-09-2019 को बनवाया गया। श्री राजेश कस्वां चेयरमैन जिला परिषद, फतेहाबाद।
श्री सतपाल शर्मा, मेहूवाला
जिला पार्षद वार्ड नं. 2 फतेहाबाद
श्री बन्सीलाल भिगासरा
सरपंच ग्राम पंचायत भट्टू मण्डी।

FATEHABAD DISTRICT MAP

महिला हवालात

पुरुष हवालात

राज्यवार सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानें

क्रं.	थाना का नाम	जिला	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	एबरडीन	दक्षिण अण्डमान	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
2	चुंडी (वी.वी. पालेम)	प्रकाशम	आंध्र प्रदेश
3	खरसांग	चांगलांग	अरुणाचल प्रदेश
4	देरगांव	गोलाघाट	असम
5	रामपुर चौरम	अरवल	बिहार
6	ईस्ट सेक्टर २६	चंडीगढ़	चंडीगढ़
7	बारमकेला	रायगढ़	छत्तीसगढ
8	सदर बाजार	उत्तर जिला	दिल्ली
9	नानी दमन	दमन जिला	दादरा तथा नगर हवेली और दमन एवं दीव
10	वालपोई	उत्तरी गोवा	गोवा
11	सेवालिया	खेड़ा	गुजरात
12	भट्टू कलां	फतेहाबाद	हरियाणा
13	ढल्ली	शिमला	हिमाचल प्रदेश
14	बसंतगढ़	उधमपुर	जम्मू एवं कश्मीर
15	कैरो	लोहरदगा	झारखण्ड
16	मानवी	रायचूर	कर्नाटक
17	ओट्टापलम	पालक्काड	केरल
18	लेह	लेह	लद्दाख़
19	कडमत द्वीप	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप
20	लंघाडोल	सिंगरौली	मध्य प्रदेश
21	शिराला	सांगली	महाराष्ट्र
22	नम्बोल	बिश्नुपुर	मणिपुर
23	डिएंगपासोह	खासी हिल्स ईस्ट	मेघालय
24	लुंगलेई	लुंगलेई	मिजोरम
25	महिला थाना कोहिमा	कोहिमा	नागालैण्ड
26	गंगापुर	गंजम	ओडिशा
27	कराईकल टाउन	कराईकल	पुडुचेरी
28	छाजली	संगरूर	पंजाब
29	जैतसार	श्रीगंगानगर	राजस्थान
30	टेमी	दक्षिण जिला	सिक्किम
31	थोट्टियम	तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु
32	अलेर	रचकोंडा	तेलंगाना
33	चैलेंगटा	ढलाई	त्रिपुरा
34	मिश्रौलिया	सिद्धार्थ नगर	उत्तर प्रदेश
35	हल्द्वानी	नैनीताल	उत्तराखंड
36	जगतबल्लवपुर	हावड़ा ग्रामीण	पश्चिम बंगाल

अनुलग्नक

अनुलग्नक-1: राज्यवार चयनित पुलिस थानों की सूची

क्रं.	थाना का नाम	जिला	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	एबरडीन	दक्षिण अण्डमान	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
2	चुंडी (वी.वी. पालेम)	प्रकाशम	आंध्र प्रदेश
3	कोटापडा	विशाखापत्तनम रूरल	आंध्र प्रदेश
4	वेलिगन्डला	प्रकाशम	आंध्र प्रदेश
5	खरसांग	चांगलांग	अरुणाचल प्रदेश
6	तलिहा	ऊपरी सुबनसिरी	अरुणाचल प्रदेश
7	बरबरुआ	डिब्रूगढ़	असम
8	देरगांव	गोलाघाट	असम
9	दीप नगर	नालन्दा	बिहार
10	मुफ्फसिल थाना	बेगुसराई	बिहार
11	रामपुर चौरम	अरवल	बिहार
12	ईस्ट सेक्टर २६	चंडीगढ़	चंडीगढ़
13	बारमकेला	रायगढ़	छत्तीसगढ
14	गिधपुरी	बलोदा बाज़ार	छत्तीसगढ
15	मानसरोवर पार्क	शाहदरा	दिल्ली
16	सदर बाजार	उत्तर जिला	दिल्ली
17	नानी दमन	दमन जिला	दादरा तथा नगर हवेली और दमन एवं दीव
18	कुलेम	दक्षिण गोवा	गोवा
19	वालपोई	उत्तरी गोवा	गोवा
20	बिल्खा	जूनागढ़	गुजरात
21	सेवालिया	खेड़ा	गुजरात
22	आसौदा	झज्जर	हरियाणा
23	भट्टू कलां	फतेहाबाद	हरियाणा
24	ढल्ली	शिमला	हिमाचल प्रदेश
25	ठियोग	शिमला	हिमाचल प्रदेश
26	बसंतगढ़	उधमपुर	जम्मू एवं कश्मीर
27	धुरकी	गढ़वा	झारखण्ड
28	कैरो	लोहरदगा	झारखण्ड
29	दांडेली रूरल	उत्तरा कन्नड़	कर्नाटक
30	मानवी	रायचूर	कर्नाटक
31	मुढोल	कलबुर्गी	कर्नाटक
32	ओट्टापलम	पालक्काड	केरल
33	पालाघाट टाउन उत्तर	पालक्काड	केरल
34	लेह	लेह	लद्दाख़
35	कडमत द्वीप	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप
36	लंघाडोल	सिंगरौली	मध्य प्रदेश

क्रं.	थाना का नाम	जिला	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
37	नवानगर	सिंगरौली	मध्य प्रदेश
38	नवेगांव	छिन्दवारा	मध्य प्रदेश
39	धुले सिटी	धुले	महाराष्ट्र
40	पाडोली	चन्द्रपुर	महाराष्ट्र
41	शिराला	सांगली	महाराष्ट्र
42	नम्बोल	बिश्नुपुर	मणिपुर
43	नोंग्पोक सेकमई	थौबाल	मणिपुर
44	डिएंगपासोह	खासी हिल्स ईस्ट	मेघालय
45	माव्लई	खासी हिल्स ईस्ट	मेघालय
46	चम्फई	चम्फई	मिजोरम
47	लुंगलेई	लुंगलेई	मिजोरम
48	मोकोकचुंग-१	मोकोकचुंग	नागालैण्ड
49	महिला थाना कोहिमा	कोहिमा	नागालैण्ड
50	गंगापुर	गंजम	ओडिशा
51	सुरदा	गंजम	ओडिशा
52	कराईकल टाउन	कराईकल	पुडुचेरी
53	छाजली	संगरूर	पंजाब
54	खरार	स.अ.स. नगर	पंजाब
55	जैतसार	श्रीगंगानगर	राजस्थान
56	किशनगढ़	अजमेर	राजस्थान
57	राजीव गाँधी नगर	जोधपुर	राजस्थान
58	जोरेथांग	दक्षिण जिला	सिक्किम
59	टेमी	दक्षिण जिला	सिक्किम
60	मरुथुर	कड्डलोर	तमिलनाडु
61	मुलनुर	तिरूप्पुर	तमिलनाडु
62	थोट्टियम	तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु
63	अलेर	रचकोंडा	तेलंगाना
64	इ. बय्यारम	कोठागुदेम	तेलंगाना
65	सनथनगर	साइबराबाद	तेलंगाना
66	चैलेंगटा	ढलाई	त्रिपुरा
67	कारबूक	गोमती	त्रिपुरा
68	आसीवन	उन्नाव	उत्तर प्रदेश
69	मिश्रौलिया	सिद्धार्थनगर	उत्तर प्रदेश
70	वृंदावन	मथुरा	उत्तर प्रदेश
71	घंसाली	टेहरी गढ़वाल	उत्तराखंड
72	हल्द्वानी	नैनीताल	उत्तराखंड
73	धुपगुड़ी	जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल
74	जगतबल्लवपुर	हावड़ा ग्रामीण	पश्चिम बंगाल

अनुलग्नक -2: पुलिस स्टेशन का बुनियादी ढांचा और नागरिकों में सहजता के लिए प्रश्नावली

अनुभाग	उपधारा	प्रश्न
अतिरिक्त सुविधाएं	सुविधाएं	विकलांग अनुकूल सुविधाएं- क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई रैंप उपलब्ध है?
		पावर बैकअप- क्या पुलिस स्टेशन में पावर बैक अप सिस्टम है?
	उपयुक्तता	क्या पुलिस स्टेशन में मनोरंजक गतिविधियों/खेल के मैदान/जिम के लिए सुविधा है?
	पैंट्री	पेयजल सुविधाएं- क्या कर्मचारियों और आगंतुक के लिए पीने का पानी उपलब्ध है?
		पेयजल सुविधाएं- क्या आरओ / डिस्पेंसर का रखरखाव प्रयाप्त ढंग से हो रहा है?
		चाय/कॉफी सुविधाएं- क्या चाय/कॉफी की सुविधाएं/पेंट्री सेवाएं उपलब्ध हैं?
पुलिस कर्मचारियों की सुगम्यता और व्यवहार		क्या सभी पुलिसकर्मी ड्रेस कोड के अनुसार पूरी वर्दी पहने हुए हैं?
		क्या पुलिस वाले जनता के प्रति सजग हैं?
		क्या पुलिसकर्मी शिकायतकर्ताओं आदर एवं विनम्र भाव से पेश आ रहे हैं?
बैरक	बैरक की स्वच्छता और सुविधाएं	क्या थाने में बैरक उपलब्ध हैं?
		क्या बैरक में बिस्तर साफ और अच्छी तरह से लगे हैं?
		क्या कमरे उचित प्रकाश व्यवस्था के साथ उपलब्ध हैं?
		क्या कमरे ठीक से हवादार हैं?
		क्या दीवारें और छत गन्दगी और नमी से मुक्त हैं?
		क्या बैरकों के लिए शौचालय उपलब्ध हैं?
		क्या कमरों में कूलर/एसी जैसी कूलिंग सुविधा उपलब्ध है?
		क्या फर्श साफ रखा गया है?
		क्या मच्छर भगाने वाले यंत्र कमरे में उपलब्ध और कार्य कर रहें हैं?
		क्या बैरक समग्र रूप से अच्छा है?
	बैरक के शौचालय की सफाई	क्या मूत्रालय साफ हैं यानी दाग, कूड़ा या अन्य कचरा नहीं है?
		क्या दीवारें और छत गन्दगी और नमी से मुक्त हैं?
		क्या टॉयलेट सीट क्षेत्र साफ है यानी कोई दाग, कूड़ा या अन्य कचरा नहीं है?
		क्या शौचालयों में दुर्गंध आ रही है?
		क्या शौचालय में प्रवाही जल उपलब्ध है?
		क्या शौचालय हवादार है?
		क्या शौचालय में पर्याप्त रौशनी है?
		क्या वाशरूम में फ्लश है और क्या यह काम करता है?
		क्या कोई वॉश बेसिन क्षेत्र मौजूद है?
		क्या हाथ धोने के लिये साबुन उपलब्ध है?

अनुभाग	उपधारा	प्रश्न
परिसर क्षेत्र का बुनियादी ढांचा और सफाई	परिसर क्षेत्र की सफाई	क्या परिसर क्षेत्र में कूड़ेदान रखे गए हैं?
		क्या कूड़ेदान ऊपर तक भरा दिख रहा है?
		क्या गीले कचरे और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग कूड़ेदान उपलब्ध है?
		क्या प्रवेश द्वार पर आपातकालीन संपर्क नंबर प्रदर्शित है?
		चारदीवारी की सुरक्षा संबंधी स्थिति कैसी है?
		क्या थाना परिसर क्षेत्र साफ है?
		क्या थाने का नाम बाहर से दिखता है
		क्या परिसर छेत्र में जमा हुआ पानी देखा है?
		गंध- क्या आसपास कोई दुर्गंध मौजूद है?
		खुली नालियाँ- क्या परिसर क्षेत्र में कोई खुली नालियाँ है?
		आगंतुकों के लिए पार्किंग- थाने में पार्किंग की क्या स्थिति है
पुलिस स्टेशन का बुनियादी ढांचा (अंदर)	पुलिस स्टेशन के अंदर साफ-सफाई	साफ-सफाई- क्या थाने में कूड़ा-करकट, सिगरेट, रैपर, धूल आदि कूड़ा-करकट है?
		स्वच्छता- क्या आप फर्श, खंभों या दीवारों पर पान, गुटखा या पक्षी के बीट देख सकते है?
		कूड़ेदान- क्या थाना भवन के भीतर में कूड़ेदान रखे गए है?
		थाने का पूरा माहौल कैसा है?
		गंध-क्या आपको कोई दुर्गंध महसूस हो रही है?
		स्वच्छ भारत अभियान गतिविधियाँ- क्या वहाँ स्वच्छ भारत का होर्डिंग है जिसमें कूड़ा-करकट रोकने और खुले में पेशाब करने/खुले में शौच करने से चेतावनी दी गई है?
		दीवारें- क्या इमारत की दीवारें साफ और अच्छी तरह रंगी हुई थीं?
	पुलिस स्टेशन के अंदर सुविधाएं	क्या पुलिस कर्मचारियों के लिए कुर्सी/डेस्क उपलब्ध है?
		क्या जांच अधिकारियों के लिए अलग कमरे उपलब्ध हैं?
		क्या पुलिस स्टेशन में अतिरिक्त सुविधाएँ जैसे बाल कक्ष, दीवारों पर चित्र, विशेष पहल जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक व्यायामशाला आदि मौजूद है?
		क्या थाने में अलग सम्मेलन कक्ष है?
		क्या पुलिस थाने में अलग संदिग्ध/गवाह तहकीकात कक्ष है?
		क्या पुलिस स्टेशन में अलग वायरलेस और संचार कक्ष है?
		क्या कमरे में फाइलों और केस फाइलों के लिए भंडारण पेटिका है?
		क्या कमरे में पर्याप्त कूलिंग/हीटिंग की सुविधा उपलब्ध है?
		क्या मालखाना/शस्त्रागार उपलब्ध है और तालाबंद है?
		क्या फर्नीचर अच्छी स्थिति में है?
		क्या आम जनता के लिए कोई निर्दिष्ट प्रतीक्षालय उपलब्ध है?
		क्या प्रतीक्षालय में बैठने की व्यवस्था उपलब्ध है?
		महिला हेल्प डेस्क- क्या थाने में अलग से महिला हेल्प डेस्क है?

अनुभाग	उपधारा	प्रश्न
हवालात		दीवारों की स्थिति- क्या दीवारों पर अच्छी तरह से प्लास्टर और पेंट किया गया है?
		नमी - क्या दीवारें और छत बिना किसी रिसाव या नमी के हैं?
		क्या सीसीटीवी लॉक अप एरिया को कवर करता है?
		तल का विवरण-क्या फर्श को अच्छी तरह से बनाए रखा और प्लास्टर किया गया है?
		क्या पुरुष और महिला के लिए अलग लॉकअप उपलब्ध है?
		शौचालय: क्या लॉकअप में अभियुक्तों के लिए शौचालय उपलब्ध हैं?
		शौचालय - क्या शौचालय साफ हैं?
		अवांछित वस्तुएं- क्या लॉकअप का उपयोग बेकार सामग्री जैसे पुराने पंखे, टूटी कुर्सियों आदि के भंडारण के लिए किया जा रहा है?
रिकॉर्ड का रखरखाव		क्या अभिलेख एक बंद कैबिनेट में संग्रहीत हैं?
		क्या पुराने अभिलेख ऑनलाइन बनाए गए हैं?
		क्या रजिस्टर मज़बूत बाइंडिंग हैं?
		क्या रजिस्टरों को लेबल किया गया है?
		शिकायतों को कैसे लिया जाता है? (मौखिक, लिखित या दोनों तरह से)
		क्या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है?
मेस और कैंटीन क्षेत्र		क्या थाना में भोजनालय उपलब्ध है?
		क्या दीवारें और छत गन्दगी और नमी से मुक्त हैं?
		क्या कमरे में उचित वेंटिलेशन है?
		क्या कमरे में उचित प्रकाश व्यवस्था है?
		क्या मेस का फर्श साफ रखा गया है?
		क्या मेस में पंखा/ कूलर की सुविधा उपलब्ध है?
थाने की सुरक्षा	CCTV कैमरे	क्या CCTV कैमरे काम कर रहे हैं?
		कैमरों की कुल संख्या पूरे परिसर के लिए पर्याप्त है?
		क्या थाने के परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं?
		क्या थाने के अन्दर सीसीटीवी कैमरे हैं?
		क्या थाने के स्वागत क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे हैं?
		डेटा बैकअप कितने समय के लिए मेंटेन किया जाता है?
		बैकअप कहाँ रखा जाता है?
	अग्नि सुरक्षा	क्या सभी तार और स्विच बोर्ड ठीक से ढके हुए, सुरक्षित हैं?
		क्या अग्निशामकों का समय-समय पर परीक्षण किया गया और वे काम कर रहे हैं?
		क्या पुलिस स्टेशन में फायर अलार्म है?
		क्या पुलिस स्टेशन में अग्नि सुरक्षा के अवसंरचना (रेत की बाल्टी, नली के पाइप, आदि) हैं?
		क्या थाने में अग्निशामक यंत्र है?
		क्या एकृत होने के लिए पुलिस थाने में जगह उपलब्ध और अच्छी तरह से प्रदर्शित है?

अनुभाग	उपधारा	प्रश्न
एसएचओ प्रश्नावली	खर्च	मांगपत्र देने के कितने महीने बाद एसपी ऑफिस से स्टेशनरी मिलता है?
		क्या थाने द्वारा अतिरिक्त स्टेशनरी के लिए अनुरोध करने का कोई प्रावधान है?
		क्या आपको मांगपत्र में दर्शाए गए सभी सामान मिलते हैं?
	वित्तीय स्वायत्तता	वित्तीय स्वायत्तता- क्या पुलिस स्टेशन में अग्रदाय खाता प्रणाली है?
	ईंधन	क्या आपको ईंधन आवश्यकता अनुसार प्राप्त होती है?
		ईंधन न होने के कारणवश थाना के वाहन कितने दिनों तक बेकार पड़े रहते हैं?
		मांगपत्र देने के कितने दिनों में आपको एसपी कार्यालय से फ्यूल कूपन/बजट प्राप्त होता है?
	मानव संसाधन	एचआर- कितने कर्मियों को बेसिक सीसीटीएनएस और बेसिक डेली ऑनलाइन रिपोर्ट में प्रशिक्षित किया गया है?
		एचआर- कितने कर्मियों को बुनियादी कंप्यूटर संचालन में प्रशिक्षित किया गया है?
		एचआर- महिला अपराध से संबंधित कानूनों में कितने कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है?
		एचआर- थाने में तैनात महिला कर्मचारियों की संख्या
		एचआर-पुलिस स्टेशन के लिए स्वीकृत महिला कर्मचारियों की संख्या
		एचआर- कितने कर्मियों को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया जाता है?
		नागरिक जागरूकता के लिए किए गए कार्यक्रमों की संख्या
		थाने में पदस्थापित पुरुष कर्मचारियों की संख्या
		थाने के लिए स्वीकृत पुरूष कर्मचारियों की संख्या
	आधारभूत संरचना	किसी भी एजेंसी द्वारा वर्ष में कितनी बार पेयजल सुविधा का निरीक्षण किया जाता है?
		मेस और बैरक- मेस में खाना कौन बनाता है?
		मेस और बैरक- बिस्तर, बक्सा आदि की सुविधा बैरक में कौन प्रदान करता है?
		चाय कॉफी सुविधा और सामग्री के लिए कौन भुगतान करता है?
	पिछले साल की घोषणा	क्या पिछले वर्ष हिरासत के दौरान किसी की मृत्यु हुई है?
		क्या पिछले वर्ष के दौरान पुलिस हिरासत से भागने का कोई मामला है?
		क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया गया है?
		हिरासत में हुई मौतों की संख्या
		पिछले वर्ष के दौरान पीसी अधिनियम के तहत आरोपित पुलिस कर्मियों की संख्या
		पुलिस हिरासत से भगोड़े कैदियों की संख्या

अनुभाग	उपधारा	प्रश्न
एसएचओ प्रश्नावली	वाहन	स्वीकृत चौपहिया वाहनों की संख्या
		क्रियाशील चौपहिया वाहनों की संख्या
		स्वीकृत दुपहिया वाहनों की संख्या
		कार्यशील दोपहिया वाहनों की संख्या
		कितने वाहनों में जीपीएस टैग हैं?
		क्या जीपीएस टैग काम कर रहे हैं?
		RFID टैग कितने वाहनों में हैं?
		क्या RFID टैग काम कर रहे हैं?
	कानून और व्यवस्था की स्थिति	पिछले एक महीने में कानून और व्यवस्था की स्थिति की संख्या
		पिछले 24 घंटों में गिरफ्तारियां को क्या कोई बोर्ड प्रदर्शित कर रहा है।?
		क्या आपके स्टेशनों में ऑन कॉल शिकायत प्रणाली मौजूद है और काम कर रही है?
		कॉल सेंटर के माध्यम से कितनी शिकायतें दर्ज हुई?
		शिकायत के लिए किस तरह की कार्रवाई की गई है?
		क्या हिस्ट्रीशीटर के लिए कोई रिकॉर्ड रखा जाता है?
शौचालय और सफाई कर्मचारी	हाउसकीपिंग और कार्मिक स्वच्छता	क्या हाउसकीपिंग स्टाफ उपलब्ध है?
		क्या हाउसकीपिंग स्टाफ की उपस्थिति बनी रहती है?
		क्या हाउसकीपिंग स्टाफ वर्दी पहन रखा है?
		क्या हाउसकीपिंग स्टाफ सुरक्षात्मक गियर यानी दस्ताने और मास्क, जूते का उपयोग करते हैं?
		क्या कर्मचारियों के पास उपयुक्त सफाई उपकरण हैं अर्थात (झाड़ू, धूल की टोकरियाँ, पोछा, और बाल्टी)?
		क्या शौचालय के लिए हाउसकीपिंग स्टाफ नियुक्त है?
		क्या दैनिक सफाई जांच सूची उपलब्ध है?
		क्या हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए जगह उपलब्ध है?
		क्या दीवारें और छत साफ हैं यानी कोई जाला, दाग आदि नहीं हैं?
		क्या शौचालय में तिलचट्टे या चूहे दिखाई दे रहे हैं?
		क्या थाने में शौचालय उपलब्ध हैं?
		क्या पुलिस थाने में पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग शौचालय हैं?
		क्या शौचालय में प्रवाही जल उपलब्ध है?
शौचालय और सफाई कर्मचारी	हाउसकीपिंग और कार्मिक स्वच्छता	क्या साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है?
		क्या वाशरूम में फ्लश काम कर रहा है?
		क्या टॉयलेट दाग, कूड़े या अन्य कचरे के बिना साफ है?
		क्या शौचालय हवादार है?
		क्या शौचालय अच्छी तरह से प्रकाशित है?
		क्या शौचालयों में दुर्गंध आती है?
		क्या वाश बेसिन क्षेत्र मौजूद है?
		शौचालय के फर्श की स्थिति कैसी है?
		वॉश बेसिन की हालत कैसी है?

अनुलग्नक -3: दुकानदारों, निवासियों और शिकायतकर्ताओं के लिए प्रश्नावली

उत्तरदाता श्रेणी	मुख्य सवाल
रिहायशी इलाकों के लोग	क्या पुलिस आपके क्षेत्र को निरंतर निगरानी में रखती है?
	क्या आपके क्षेत्र में अपराधों को रोकने एवं सुलझाने में पुलिस सक्रिय है?
	अपराध की सूचना मिलने के बाद आपके क्षेत्र में पुलिस के पहुंचने का प्रतिक्रिया समय क्या है?
	क्या आपके क्षेत्र में आपसे कभी रिश्वत की मांग की गई है? (राशि और नियमितता)
	क्या आपने कभी पुलिस से शिकायत दर्ज करने की कोशिश की है?
	क्या एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है?
	ऑनलाइन शिकायतों का निवारण करने में पुलिस को कितना समय लगता है?
	पुलिस से संपर्क करने का सबसे आसान तरीका क्या है?
	क्या आप अपने क्षेत्र में सुरक्षित महसूस करते हैं?
	क्या आपको लगता है कि पुलिस लोगो की मदद करती है?
	क्या बातचीत के दौरान कोई जाति, धर्म, क्षेत्र (स्थानीय/गैर-स्थानीय) या स्थिति पूर्वाग्रह स्पष्ट था?
	पिछले एक साल में क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में पुलिस अधिक प्रभावशाली हो गई है?
	आप पुलिस को किसी अपराध या शिकायत की रिपोर्ट करने के लिए कितना सहज और आश्वस्त महसूस करते हैं?
	क्या आपने पिछले 2 महीनों में आस-पास के क्षेत्र में चोरी, छीना छपटी, सेंधमारी आदि का कोई मामला देखा है?
	पिछले 6 महीनों में क्या आपने किसी दुर्घटना के लिए पुलिस से संपर्क किया है?
	क्या जेब काटने/छीना छपटी/विवाद जैसे अपराध होने पर पुलिस सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करती है?
	क्या आपने अपने क्षेत्र में बर्किंग गतिविधियों को देखा है? यदि हाँ, तो कब देखा?
	पुलिस थाने पर क्या आपको समग्र रूप से साफ़-सफाई दिखाई पड़ी?
	अपनी पिछली मुलाक़ात की तुलना में क्या आपने पुलिस संस्कृति या थाने पर व्यवस्था में कोई सुधार देखा है?
	पुलिस के साथ अपने समग्र अनुभव और उन सुझावों के बारे में बताएं जिन्हें आप साझा करना चाहते हैं

उत्तरदाता श्रेणी	मुख्य सवाल
बाज़ार में दुकानदार	क्या आपके क्षेत्र में पुलिस गश्त नियमित रूप से हो रही है?
	क्या आप अपने क्षेत्र के बीट कांस्टेबलों से अवगत हैं और क्या वे आपसे बातचीत करते हैं?
	क्या आपने कभी पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की है?
	क्या एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है?
	ऑनलाइन शिकायतों का निवारण करने में पुलिस को कितना समय लगता है?
	पुलिस से संपर्क करने का सबसे आसान तरीका क्या है?
	क्या आपके क्षेत्र में आपसे कभी रिश्वत की मांग की गई है? (राशि और नियमितता)
	आप अपने क्षेत्र में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं?
	क्या आपको लगता है कि पुलिस लोगों की मदद करती है?
	क्या बातचीत के दौरान कोई जाति, धर्म, क्षेत्र (स्थानीय/गैर-स्थानीय) या हैसियत संबंधित भेदभाव प्रतीत हुआ था?
	क्या एक महिला/लड़की के रूप में आपके प्रति कोई लैंगिक भेदभाव दिखाया गया था?
	क्या आपने पिछले ६ महीनों में बाजार क्षेत्र में चोरी, छीना-छपटी, सेंधमारी आदि का कोई मामला देखा है?
	क्या बाजार में पुलिस भीड़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है?
	क्या बाजार में कोई अनधिकृत स्टॉल होने पर पुलिस कोई आवश्यक कार्रवाई करती है?

उत्तरदाता श्रेणी	मुख्य सवाल
जनता की प्रतिक्रिया- पुलिस थाने से लौट रहे लोग	क्या आप शिकायत/एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए थे?
	क्या आप अपनी प्राथमिकी/शिकायत दर्ज करा पाये?
	शिकायत/एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया कितनी आसान या कठिन थी?
	क्या आपने आने से पहले इंटरनेट के माध्यम से शिकायत दर्ज करने का प्रयास किया था?
	अगर हाँ, तो क्या ऑनलाइन शिकायत पर कोई कार्रवाई की गई?
	ऑनलाइन शिकायत की सुनवाई करने में पुलिस को कितना समय लगा?
	क्या आपको प्राथमिकी/शिकायत की प्रति (पुष्टिकरण) मोबाइल/फोन/किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त हुई है?
	क्या प्राथमिकी/शिकायत को कमज़ोर करने का पुलिस द्वारा कोई प्रयास किया गया था?
	क्या आपको शिकायत की प्रति दी गई थी?
	क्या पुलिसकर्मी ने नेम प्लेट लगा रखी थी?
	क्या पुलिस ने रिश्वत की कोई मांग की थी?
	एक महिला शिकायतकर्ता के मामले में क्या थाने में शिकायत में मदद करने के लिए कोई महिला पुलिसकर्मी थी?
	क्या एक महिला/लड़की के रूप में आपके प्रति कोई लैंगिक लिंग भेदभाव दिखाया गया था?
	क्या बातचीत के दौरान कोई जाति, धर्म, क्षेत्र (स्थानीय/बाहरी) या हैसियत पूर्वाग्रह स्पष्ट था?
	क्या पुलिस आपकी शिकायत पर ध्यान दे रही थी?
	क्या स्टाफ विनम्र और सम्मानजनक था?
	क्या पुलिस कर्मियों ने आपकी शिकायतों का समाधान करने का प्रयास किया है?
	क्या आपको थाने में पूरी सफाई अच्छी लगी?
	क्या आप अपने क्षेत्र में सुरक्षित महसूस करते हैं?
	क्या आपने अपने क्षेत्र में बर्किंग गतिविधियों को देखा है? यदि हाँ, तो कब देखा?
	अपनी पिछली मुलाक़ात की तुलना में क्या आपने पुलिस संस्कृति या थाने पर व्यवस्था में कोई सुधार देखा है?

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय